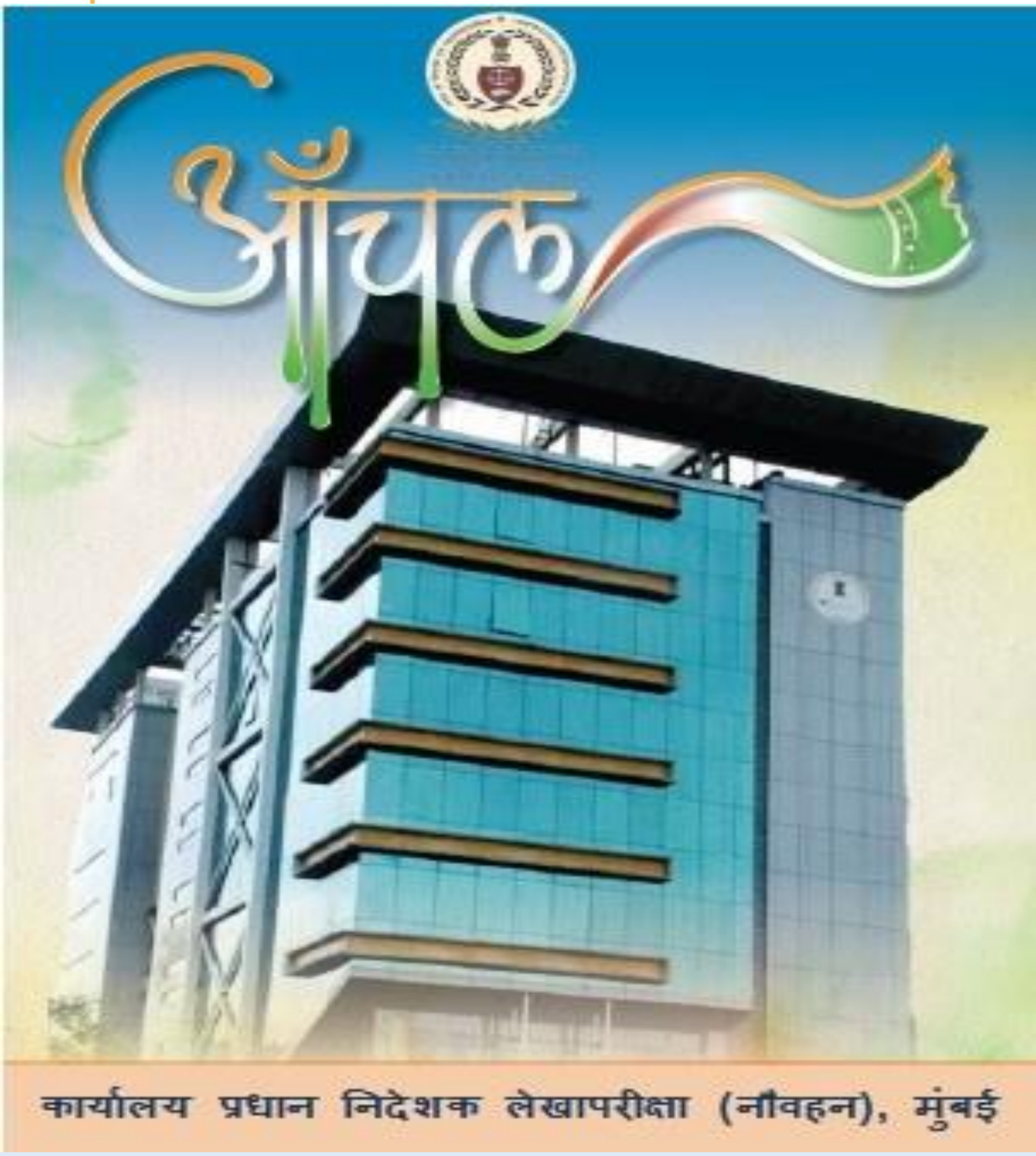
आँचल
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (नौवहन), मुंबई

आँचल

(22वाँ अंक, सितंबर 2024 – मार्च 2025)
(कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (नौवहन), मुंबई की विभागीय अर्द्ध-वार्षिक हिंदी पत्रिका)

आँचल परिवार

संरक्षक

श्री विजय एन. कोठारी
प्रधान निदेशक

दिग्दर्शन

सुश्री अनिता सिंह
निदेशक (प्रतिवेदन)

प्रबंध संपादक

सुश्री मोनाली फड़तारे
निदेशक (प्रशासन)

संपादकीय परामर्श

श्री सुशील टोपनो, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)
सुश्री शिवानी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

संपादक

श्री जय राम सिंह, क. अनुवादक
सुश्री पूजा चौधरी, क. अनुवादक

अस्वीकरण (डिस्क्लेमर) – कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (नौवहन), मुंबई की विभागीय हिंदी पत्रिका "आँचल" का मुख्य उद्देश्य राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार है । इस पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार हैं और यह आवश्यक नहीं कि कार्यालय उन विचारों से सहमत हो।

संरक्षक की कलम से

सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रति रचनात्मक रुचि के संवर्द्धन में विभागीय हिंदी पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी क्रम में कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (नौवहन), मुंबई अपनी विभागीय अर्द्ध-वार्षिक हिंदी गृह पत्रिका "आँचल" का नियमित प्रकाशन कर रहा है जो हर्ष की बात है। इससे भी अधिक खुशी की बात यह है कि कार्यालय के अधिकारी / कर्मचारी उत्साहपूर्वक हिंदी में अपनी रचनाएँ लिखकर पत्रिका की गुणवत्ता और पठनीयता, दोनों की अभिवृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं।

भारत के संविधान ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है। हिंदी विश्व-पटल पर भारत का प्रतिनिधित्व करती है। संविधान की मूल भावना यही है कि धीरे-धीरे भारतीय संघ के सारे कामकाज राजभाषा हिंदी में हों। भारत के हर हिस्से में हिंदी को बोलने या समझनेवाले लोग मिल जाते हैं। इस तरह हिंदी भारत की राष्ट्रीय एकता एवं संवाद की सूत्रधार की भूमिका अदा करती है। संस्कृत को छोड़ दें तो हिंदी संभवतः विश्व की एकमात्र भाषा है जो जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी भी जाती है। पिछले 76 वर्षों में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में हमने काफी प्रगति की है परंतु बहुत कुछ अभी करना है। मैं कार्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से यह अपेक्षा करता हूँ कि वे अधिक से अधिक मौलिक काम हिंदी में करें और राजभाषा के सम्यक प्रचार-प्रसार में अपना योगदान दें।

मैं संपादक-मंडल सहित कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूँ जिन्होंने पत्रिका के इस अंक को मूर्त रूप देने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। मेरी कामना है कि यह पत्रिका इसी सहजता एवं सरलता से राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में अपनी भूमिका निभाती रहे एवं निरंतर प्रगति करती रहे।

विजय एन. कोठारी
प्रधान निदेशक

दिग्दर्शन

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (नौवहन), मुंबई की विभागीय हिंदी पत्रिका "आँचल" का 22वाँ अंक पाठकों के बीच देखकर अच्छा लग रहा है। काम के भारी दवाब के बावजूद कार्यालय के कार्मिकों ने इस पत्रिका के लिए सामग्री लिखने में जो उत्साह दिखाया है, वह प्रशंसनीय है। भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों के काम में लेखन एक आवश्यक तत्व है जिसको परिवर्धित करने में यह पत्रिका महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

हिंदी में मौलिक काम करना अत्यधिक आसान है। ज़रूरत सिर्फ शुरु करने की है। एक बार हिंदी में काम करना शुरु कर दें तो लगातार हिंदी में काम करना आनंद देने लगता है। मुझे आशा ही नहीं, वरन् पूर्ण विश्वास है कि कार्यालय के सभी अधिकारी / कार्मिक अपना-अपना मौलिक काम अधिक से अधिक हिंदी में करेंगे और राष्ट्रीय गौरव को महसूस करेंगे।

मैं आशा करती हूँ कि यह पत्रिका राजभाषा हिंदी के प्रति लोगों में नवीन उत्साह का संचार करेगी। पत्रिका के प्रकाशन से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक बधाई।

अनिता सिंह
निदेशक (प्रतिवेदन)

संदेश

केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालय हिंदी में मौलिक कार्य का माहौल बनाने के उद्देश्य से हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन करते हैं। इसी कड़ी में कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (नौवहन), मुंबई की विभागीय हिंदी पत्रिका "आँचल" अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाने में सफल सिद्ध हुई है।

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (नौवहन), मुंबई की विभागीय हिंदी पत्रिका "आँचल" कार्मिकों को विभिन्न विषयों पर अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए एक सार्थक एवं सारस्वत मंच प्रदान करती है। मुझे आशा ही नहीं, वरन पूर्ण विश्वास है कि यह पत्रिका निरंतर प्रगति-पथ पर अग्रसर रहते हुए राजभाषा हिंदी के प्रति अपने उत्तरदायित्व को कुशलतापूर्वक निभाने में समर्थ सिद्ध होगी।

आशा करती हूँ कि कार्यालय के सभी अधिकारी व कर्मचारी भविष्य में भी इस पत्रिका को उत्कृष्ट और ज्ञानवर्द्धक बनाने के प्रति अपना उत्साह और सहयोग इसी तरह बनाए रखेंगे। हिंदी भी भारत की किसी भी अन्य क्षेत्रीय भाषा की तरह ही यहाँ की मिट्टी की उपज है और इस नाते भारतीय संस्कारों से लबरेज है।

मोनाली फड़तारे
निदेशक (प्रशासन)

अनुक्रमणिका

संरक्षक की कलम से		3	
दिग्दर्शन		4	
संदेश		5	
संपादकीय		7	
क्रम संख्या	**रचना का शीर्षक**	**रचनाकार**	**पृष्ठ संख्या**
1	स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि		9
2	जो लौट के घर न आए		12
3	स्त्री (कविता)	श्रीमती वीणा शिरशाट	15
4	दिक्कत है तो बोलो भाई (कविता)	श्री विनायक बोकड़े	16
5	आयकर का महत्व (कविता)	श्री अजीत कुमार	17
6	अधिकार (कविता)	श्री जय राम सिंह	18
7	बूझो तो जाने (पहेलियाँ)	सुश्री शिवानी	19
8	0-2 से 4-2 तक (खेलकूद)	श्री चित्राक्ष भट्ट	20
9	तीन प्रश्न (लघुकथा)	श्री जय राम सिंह	22
10	धरती का स्वर्ग (पर्यटन)	श्री प्रदीप बाळू जाधव	24
11	किसने सीटी बजाई (लघुकथा)	श्री सचिन पन्नू	26
12	तनाव : एक समस्या (निबंध)	श्रीमती नयना केळसकर	27
13	संवेदनशून्यता (लघुकथा)	श्री अजीत कुमार	29
14	मेरा सफरनामा (यात्रा वृत्तांत)	श्रीमती वीणा शिरशाट	30
15	लज़ीज़ व्यंजन (पकवान)	सुश्री शिवानी	32
16	पिता का आशीर्वाद (कहानी)	सुश्री रितू मोटवानी	33
17	बीकेसी और कुर्लाफोबिया (ललित निबंध)	श्री जय राम सिंह	35
18	एमएस वर्ड (निबंध)	श्री प्रवीण नाफ़ड़े	39
19	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक	श्री अजीत कुमार	45
20	राजभाषा अधिनियम 1963		49
21	राजभाषा नियम 1976		53
21	आपके पत्रः आपकी प्रतिक्रियाएँ		58
22	नियुक्तियाँ/पदोन्नतियाँ/स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति		59

राजभाषा हिंदी के बढ़ते कदम : प्रशासनिक और तकनीकी शब्दावली

जय राम सिंह
कनिष्ठ अनुवादक

15 अगस्त 1947 से आज तक के कालखंड में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न सरकारों द्वारा कई तरह के कदम उठाए गए हैं। इन कदमों के परिणामस्वरूप हिंदी ने प्रशासनिक और तकनीकी भाषा के रूप में एक लम्बी दूरी तय की है। हालाँकि अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी भी है जिसके प्रति भारत सरकार सचेत है और उचित कदम उठा भी रही है।

प्रारंभ में हिंदी को सिर्फ कविता और कहानी की भाषा माना जाता था। ज्ञान, विज्ञान, तकनीक और प्रशासन के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग में काफी कठिनाइयाँ आ रही थीं। इन कठिनाइयों को देखते हुए भारत सरकार ने वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया है। इस आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 344 के खण्ड (4) के परंतुक के अंतर्गत भारत सरकार के एक संकल्प के द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 21 दिसम्बर, 1960 में किया गया थाः-

(क) हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों का विकास करना और परिभाषित करना;

(ख) शब्दावलियों को प्रकाशित करना;

(ग) पारिभाषिक शब्दकोश एवं विश्वकोश तैयार करना;

(घ) यह देखना कि विकसित किए गए शब्द और उनकी परिभाषाएं छात्रों, शिक्षकों, विद्वानों, वैज्ञानिकों, अधिकारियों आदि को पहुंचती हैं;

(ङ) कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/प्रबोधन कार्यक्रमों के जरिए किए गए कार्य के संबंध में उपयोगी फीडबैक प्राप्त करके उचित उपयोग/आवश्यक अद्यतन/संशोधन/सुधार सुनिश्चित करना, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में शब्दावली की एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु सभी राज्यों के साथ समन्वय करना।

अपने गठन के समय से ही इस आयोग ने राजभाषा हिंदी के प्रशासनिक और तकनीकी स्वरूप के विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। आयोग के इन सत्प्रयत्नों के परिणामस्वरूप आज हिंदी में न सिर्फ प्रशासनिक कामकाज, बल्कि अभियंत्रणा (इंजीनियरिंग), चिकित्सा-विज्ञान (मेडिकल साइंस) आदि की पढ़ाई भी संभव हो सकी है। वर्तमान में यह आयोग निम्नलिखित कार्य करता है:-

(क) अँग्रेजी/हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के संबंध में द्विभाषी और त्रिभाषी शब्दावलियाँ तैयार करना तथा उनका प्रकाशन करना।

(ख) राष्ट्रीय शब्दावली तैयार करना और उसका प्रकाशन करना।

(ग) स्कूल स्तर की शब्दावली और विभागीय शब्दावलियों की पहचान करना और उनका प्रकाशन करना।

(घ) अखिल भारतीय शब्दों की पहचान करना।

(ङ) पारिभाषिक शब्दकोशों और विश्वकोशों को तैयार करना।

(च) विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य-पुस्तकों, मोनोग्राफों और पत्रिकाओं को तैयार करना।

(छ) ग्रंथ अकादमियों, पाठ्य-पुस्तक बोर्डों और विश्वविद्यालय प्रकोष्ठों को क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के लिए सहायता अनुदान।

(ज) प्रशिक्षण/प्रबोधन कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के आदि माध्यम से गढ़े गए और परिभाषित शब्दों का प्रचार-प्रसार, विस्तार और ध्यानपूर्वक समीक्षा करना।

(झ) प्रकाशनों का नि:शुल्क वितरण।

(ञ) राष्ट्रीय अनुवाद मिशन को आवश्यक शब्दावली उपलब्ध कराना।

इस आयोग की अपनी वेबसाइट (www.cstt.nic.in) है जहाँ इसके सारे क्रिया-कलापों की जानकारी निरंतर उपलब्ध कराई जाती है।

नई शिक्षा नीति – अकादमिक वर्ष 2023-24 से लागू भारत सरकार की नई शिक्षा नीति में हिंदी सहित भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्द्धन और संरक्षण हेतु व्यापक कदम उठाते हुए प्रारंभिक शिक्षा को अपनी-अपनी मातृभाषाओं में उपलब्ध कराना शुरु किया है। इस शिक्षा नीति के आशातीत परिणाम भी सामने आने लगे हैं। मध्यप्रदेश में एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय ने अपना पूरा पाठ्यक्रम ही हिंदी में तैयार कर लिया है। इसी तरह कुछ चिकित्सा महाविद्यालयों में भी हिंदी में पठन-पाठन की व्यवस्था की जा रही है।

लेकिन सरकार के प्रयास अपनी जगह और जन-सहभागिता अपनी जगह। हिंदी सही मायनों में राजभाषा पद पर तब तक सुशोभित नहीं हो सकती जब तक उसमें व्यापक जन-सहभागिता न हो। हर्ष की बात है कि मनोरंजन, इंटरनेट और अन्य माध्यमों की मदद से हिंदी धीरे-धीरे प्रतिष्ठित हो रही है। ज़रूरत है कि हम सभी राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में गौरव का अनुभव करते हुए अपनी-अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएँ।

स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि

(हमारी गृह पत्रिका "आँचल" का यह नियमित स्तम्भ है । इस अंक में हम देश के स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेकर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देनेवाले वीर सपूतों के बलिदानों का स्मरण कर उन्हें कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं । आज हम सभी आजाद देश के नागरिक हैं क्योंकि बीते हुए कल में इन असंख्य वीर सेनानियों ने हमारे 'आज' को सुखमय बनाने के लिए अपने 'आज' की आहुति दे दी थी । इस अंक में हम उत्तरप्रदेश, असम और महाराष्ट्र के रहनेवाले स्वतंत्रता के वैसे नायकों की गाथाएँ सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं जिनकी अधिक चर्चा नहीं होती । इन्हें इतिहास में वह स्थान नहीं मिला जिसके वे अधिकारी हैं - संपादक)

गंगादीन मेहतर

गंगादीन मेहतर या गंगू पहलवान उत्तर प्रदेश में चुन्नी गंज, कानपुर के निवासी थे । 1857 की लड़ाई में उन्होंने अकेले ही लगभग 200 ब्रिटिश सैनिकों को मार डाला । इसके बाद कई ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतारने वाले इस पराक्रमी सेनानी की उपस्थिति से ब्रिटिश सरकार डर गयी थी । ब्रिटिश सेना के अधिकारियों ने गंगादीन को हर हाल में गिरफ्तार करने का आदेश दिया । ब्रिटिश सेना के सिपाहियों ने उनका पीछा किया । वीर योद्धा गंगादीन घोड़े पर सवार होकर वीरता के साथ लड़ते रहे, लेकिन दुर्भाग्य से अंततः औपनिवेशिक ताकतों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया ।

गंगादीन मेहतर ने देश को आजाद कराने के लिए खुद को समर्पित कर दिया और अँग्रेजों की क्रूरता पर हँसे । उन्होंने स्वाभिमान के साथ फाँसी के फंदे को चूम लिया । लेकिन आखिरी साँस तक अँग्रेजों को ललकारते रहे । उन्हें 8 सितम्बर 1859 को आम जनता के सामने चुन्नी गंज के मुख्य चौराहे के मध्य स्थित एक पेड़ पर फाँसी पर लटका दिया गया । अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने कहा था - "भारत की मिट्टी में हमारे पूर्वजों के खून और बलिदान की गंध है, एक दिन यह मिट्टी आज़ाद होगी ।"

(आँचल परिवार देशप्रेम, त्याग, साहस और बलिदान की अदम्य मूर्ति अमर स्वतंत्रता-सेनानी श्री गंगादीन मेहतर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है ।)

कनकलता बरुआ (12 अगस्त, 1817 - 16 अप्रैल, 1858)

कनकलता बरुआ, जिन्हें वीरबाला और शहीद के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और एआईएसएफ नेता थीं । 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज के साथ एक जुलूस का नेतृत्व करते समय ब्रिटिश राज की भारतीय शाही पुलिस ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी ।

बचपन से ही उनमें देशभक्ति और भारतीय स्वतंत्रता के प्रति समर्पण की प्रबल भावना थी । 17 साल की उम्र में युवा और बहादुर कनकलता असम के युवाओं के संगठन 'मृत्युवाहिनी' (अर्थात् मौत का दस्ता) में शामिल हो गईं थीं । यह संगठन मातृभूमि के लिए मर-मिटने का संकल्प लेनेवाले युवाओं का संगठन था ।

मृत्युवाहिनी ने 20 सितंबर, 1942 को पड़ोस के पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का फैसला किया। ऐसा करने के लिए बरुआ ने निहत्थे किसानों के एक समूह का नेतृत्व किया । पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी रेवती रमण सोम ने जुलूस से कहा कि वे लोग लौट जाएँ अन्यथा परिणाम बहुत भयंकर होगा । लेकिन आजादी के दीवानों को पुलिस की धमकी अथवा मृत्यु का डर क्या सताता ?

चेतावनी जारी करने के थोड़ी ही देर बाद जब पुलिस ने परेड पर गोलीबारी कर दी । चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई थी। लेकिन तब भी कनकलता हाथ में झंडा लिए आगे बढ़ रही थी । आजादी के रंग में सराबोर कनकलता के ऊपर पुलिस की गोलीबारी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा । वह लगातार आगे बढ़ती रही । अंत में पुलिस ने कनकलता को गोली मार दी । गिरते-गिरते भी करनकलता के हाथों में भारतीय तिरंगा झंडा ऊँचा लहरा रहा था । वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए शहीद हो गईं । एक उदीयमान युवा नेत्री ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी ।

(आँचल परिवार देशप्रेम, नेतृत्व, साहस और बलिदान की अदम्य मूर्ति अमर स्वतंत्रता-सेनानी सुश्री कनकलता बरुआ को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है ।)

दो वर्तमान का सत्य सरल, सुंदर भविष्य के सपने दो
हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो

गोपाल सिंह नेपाली

चापेकर बंधु

चापेकर बंधुओं की कहानी भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में प्रतिरोध की सबसे कम आँकी गई कहानियों में से एक है । 1896 के ब्यूबोनिक प्लेग के दौरान, जो महाराष्ट्र के पुणे जिले में फैला था, ब्रिटिश सरकार ने एक विशेष प्लेग समिति का गठन किया । इस समिति के अध्यक्ष के रूप में भारतीय सिविल सेवा (आईसीएस) के अधिकारी वाल्टर चार्ल्स रैंड की नियुक्ति की गई ।

वाल्टर चार्ल्स रैंड ने प्लेग के खतरे से निपटने और महामारी के प्रसार को रोकने के लिए अमानवीय तरीकों को अपनाना शुरु कर दिया । उसने कई कठोर उपाय लागू किए जिनमें घरों में जबरन प्रवेश, परिवारों को अलग करना और व्यक्तिगत संपत्ति को नष्ट करना शामिल था । यहाँ तक कि उसने सार्वजनिक रूप से व्यक्तियों (महिलाओं सहित) के कपड़े उतारकर उनका निरीक्षण करवाना भी शुरु कर दिया, लोगों को जबरन अस्पतालों और अलग तरह के यातनादायक शिविरों में रखा गया, दिवंगत लोगों की अंत्येष्टि पर प्रतिबंध लगा दिया और शहर के बाहर से होनेवाले यातायात को नियंत्रित कर दिया । रैंड का बर्ताव इतना क्रूर था कि उससे किसी भी तरह के मानवीय व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी । उसके आतंक को ख़त्म करने का एक ही उपाय था - उसकी हत्या । चापेकर बंधुओं और 'चापेकर क्लब' के अन्य क्रांतिकारियों ने आईसीएस अधिकारी की हत्या की योजना बनाई ।

22 जून, 1897 को चापेकर बंधुओं ने वाल्टर चार्ल्स रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट (रैंड का सैन्य अंगरक्षक) की हत्या कर दी । ब्रिटिश सरकार ने चापेकर बंधुओं पर मुकदमा चलाया और तीनों चापेकर भाइयों को दोषी पाया गया । दंडस्वरूप तीनों को फाँसी दे दी गई । तीनों चापेकर बंधु भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई में शहीद हो गए । इस घटना ने भारत में बढ़ते स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा दिया और अधिक से अधिक लोगों को ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया ।

(आँचल परिवार देशप्रेम, त्याग, साहस और बलिदान के प्रतीक अमर शहीद चापेकर बंधुओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है ।)

गंगादीन मेहतर, स्रोत - https://amritmahotsav.nic.in/unsung-heroes-detail.htm?13262

कनकलता बरुआ, स्रोत - https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/forgotten-fighters-of-indian-independence-1692085608-1

चापेकर बंधु, स्रोत - https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/forgotten-fighters-of-indian-independence-1692085608-1

जब अन्त समय आया तो कह गए कि अब चलते हैं
खुश रहना देश के यारों अब हम तो सफ़र करते हैं ।
जो ख़ून गिरा पर्वत पर वह ख़ून था हिन्दुस्तानी
जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो क़ुर्बानी ।

- कवि प्रदीप

जो लौट के घर न आए

(हमारी विभागीय गृह-पत्रिका आँचल के इस नियमित स्तम्भ में हम देश और देशवासियों की रक्षा में पिछले एक वर्ष में सर्वोच्च बलिदान देनेवाले वीर सपूतों के बलिदानों का स्मरण कर उन्हें कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। हमारा देश एक ओर जहाँ चीन, पाकिस्तान, आतंकवाद जैसी बाहरी चुनौतियों से मुकाबला कर रहा है, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं से भी लोहा ले रहा है। इस स्तंभ में देश के ऐसे रण-बाँकुरों की रण-गाथाएँ सुनाने का प्रयास किया जाता है जिन्होंने देश के प्रति अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा और ज़रूरत पड़ने पर सर्वोच्च बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटे। अपनी मातृभूमि की आन, बान और शान की रक्षा में ऐसे समर्पित होकर घर से निकले कि कभी लौट नहीं पाए। आशा है कि आप सुधी पाठकों को हमारा यह विनम्र प्रयास अच्छा लगेगा - संपादक)

नायक दिलावर खान (15240290F), कीर्ति चक्र, 28 राष्ट्रीय राइफल्स

नायक दिलावर खान 23 जुलाई 2024 को लोलाब घाटी, कुपवाड़ा जिले के घने जंगलों में घात लगाकर हमला करनेवाले दल का हिस्सा थे। 2350 बजे, उनके दल ने दो आतंकवादियों को देखा, जिनमें से एक बहुत करीब था । उनके घात लगाकर बैठे दल ने आतंकवादियों पर गोलीबारी की । आतंकवादियों ने भी बदले में उन पर हमला कर दिया ।

अपनी टीम के लिए छिपे हुए आतंकवादी से गंभीर खतरे को भाँपते हुए, व्यक्तिगत सुरक्षा की कोई परवाह न करते हुए, नायक दिलावर खान ने भारी मात्रा में गोलीबारी के बावजूद उस करीबी आतंकवादी को पकड़ लिया और उसे आमने-सामने की लड़ाई में उलझा दिया, जबकि दूसरे आतंकवादी ने दूर से अंधाधुंध गोलीबारी जारी रखी । इस वीरतापूर्ण कार्रवाई के दौरान नायक दिलावर खान गंभीर रूप से घायल हो गए । अपनी चोटों से विचलित हुए बिना उन्होंने आतंकवादी को जाने नहीं दिया और घावों के कारण दम तोड़ने से पहले बहुत करीब से गोलीबारी करके उसे मार डाला ।

कृतज्ञ राष्ट्र ने अदम्य साहस, व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करना और सर्वोच्च कोटि की वीरता प्रदर्शित करने के लिए नायक दिलावर खान को "कीर्ति चक्र (मरणोपरांत)" पुरस्कार देकर सम्मानित किया है।

आँचल परिवार नायक दिलावर खान (15240290F), कीर्ति चक्र की बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान को सलाम करता है।

कैप्टन दीपक सिंह (IC-85773P), शौर्य चक्र, 48, राष्ट्रीय राइफल्स

13 अगस्त 2024 को आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर कैप्टन दीपक सिंह के नेतृत्व में दो टीमों को तुरंत रवाना किया गया । असाधारण सामरिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए, कैप्टन दीपक सिंह ने एक सुविधाजनक स्थान पर अत्यंत ही कम समय में गोपनीय तरीके से निगरानी चौकी स्थापित की ।

1930 बजे, आतंकवादियों की हरकत को देखते हुए, उन्होंने अपने काफिले को करीब ले जाने के लिए अद्भुत युद्धकला का प्रदर्शन किया और समन्वित गोलीबारी की जिससे आतंकवादी घायल हो गए। रात होने और आतंकवादियों के चट्टानों के बीच छिपने की चुनौतियों के बावजूद, उन्होंने अपने दल को पूरी रात सतर्क रखा । सुबह की पहली रोशनी में, दीपक ने अपनी टीम को पुनर्गठित करके खोज शुरू की और सफलतापूर्वक एक एम-4 असॉल्ट राइफल, गोला-बारूद और हथगोले बरामद किए । घायल आतंकवादी, जिसे उसके समूह ने छोड़ दिया था और पत्थरों के बीच छिपा हुआ था, ने कैप्टन दीपक की पार्टी पर अंधाधुंध गोलाबारी की । इस गोलीबारी में अपने साथी के लिए खतरे को भाँपते हुए, उन्होंने निःस्वार्थता और साहस का प्रदर्शन किया, अपने साथी को पत्थरों की आड़ में सुरक्षित स्थान पर धकेल दिया, इस दौरान उन्हें कई गोलियां लगीं । घायल होने के बावजूद, कैप्टन दीपक चट्टानों के अंदर घुस गए और गोलीबारी की, जिससे आतंकवादी गंभीर रूप से घायल होकर आखिरकार मर गया ।

कृतज्ञ राष्ट्र द्वारा भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं की कड़ी में सर्वोच्च बलिदान देते हुए लोगों की जान बचाने और एक आतंकवादी को गंभीर रूप से घायल करने में उनकी असाधारण बहादुरी और वीरता के लिए कैप्टन दीपक सिंह को "शौर्य चक्र (मरणोपरांत)" पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है।

आँचल परिवार कैप्टन दीपक सिंह (IC-85773P), शौर्य चक्र, की बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान को सलाम करता है ।

“प्रान्तीय ईर्ष्या–द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता हिंदी प्रचार से मिलेगी, उतनी दूसरी किसी चीज़ से नहीं मिल सकती ।“ - नेताजी सुभाषचंद्र बोस

हवलदार रोहित कुमार (20002941F), शौर्य चक्र, डोगरा रेजिमेंट

हवलदार रोहित कुमार 'अत्यधिक ऊँचाई युद्धकला विद्यालय (हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल)' में हवलदार प्रशिक्षक के रूप में तैनात थे । हवलदार रोहित कुमार ने 7077 मीटर ऊँचे माउंट कुन की खतरनाक उनींदी ढलान पर मार्ग खोलने के लिए अग्रणी पर्वतारोहियों की अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए उत्कृष्ट पर्वतारोहण कौशल, अत्यधिक शारीरिक सहनशक्ति और कच्चे साहस का प्रदर्शन किया।

हवलदार रोहित कुमार ने ऑपरेशनल क्लाइंबिंग प्रशिक्षण टीम का नेतृत्व किया और ऑपरेशन के लिए माउंटेन वॉरियर्स टीम की ऑपरेशनल तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशनल क्लाइंबिंग प्रशिक्षण के तहत एक उत्साहपूर्ण कार्य करके खुद को प्रतिष्ठापित किया । यह प्रशिक्षण 18,600 फीट की ऊंचाई पर शून्य से नीचे के तापमान और दरारों से भरे इलाके में किया जा रहा था, जहाँ लगातार हिमस्खलन का खतरा बना रहता था। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए, हवलदार रोहित ने रस्सियों को ठीक करने और माउंट कुन के शिखर तक मार्ग खोलने के लिए हिमस्खलन संभावित ढ़लानों में सामने से नेतृत्व किया । उनके नेतृत्व में माउंट कुन की बहुत खड़ी ढलानों पर 2000 मीटर से अधिक रस्सी लगाई गई । 08 अक्टूबर 2023 को, जैसे ही वह कड़ी मेहनत से ऊपर चढ़े, 85^0 ढ़लान पर एक बड़े स्लैब के रूप में हिमस्खलन हुआ जिसने हवलदार रोहित और उनकी टीम को चपेट में ले लिया । हवलदार रोहित कुमार भारतीय सेना की सर्वोत्तम परंपराओं का पालन करते हुए अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो गए ।

सभी बाधाओं के बावजूद अपनी टीम का नेतृत्व करने और मृत्यु तक अपना कर्तव्य निभाने के लिए भारत सरकार द्वारा हवलदार रोहित कुमार को "शौर्य चक्र (मरणोपरांत)" पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ।

स्रोत - https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specificdocs/documents/2025/jan/doc2025125490401.pdf

हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है - सुमित्रानंदन पंत

स्त्री

(कविता)

श्रीमती वीणा शिरशाट
पर्यवेक्षक

इस भूतल पर स्त्री का निर्माण
विधाता का यह अद्‌भुत विधान

स्त्री एक धागे में रिश्तों को बाँधती
उस धागे के गिर्द परिवार को सींचती

बेटी, भगिनी, माता सब एक में समाए
स्त्रीत्व अक्षुण्ण रहे चाहे कुछ भी हो जाए

हे स्त्री ! तुम जन्मदात्री जननी हो
सृष्टि को धारण करनेवाली धरणी हो

आपदाएँ तुम्हें डगमगा नहीं सकती
कर्तव्य-पथ से तुम्हें डिगा नहीं सकती

समृद्धि की लक्ष्मी तुम्हीं ज्ञान की सरस्वती
संकटों में काली बनकर तुम उभरती

एक साथ अनेक जिम्मेदारियाँ उठा सकती हो
काल भी आए यदि तो उसे भगा सकती हो

स्त्री कभी कठिनाइयों से नहीं पीछे हटती
चुनौतियों का मुकाबला डटकर करती

उसकी स्मित मुस्कान घर की खुशहाली है
नर घरवाला नहीं होता, नारी होती घरवाली है

बच्चों की आदि-गुरु, संस्कार है भरती
उज्ज्वल भविष्य की खातिर क्या-क्या न करती

वास्तव में स्त्री है तो घर है, सृष्टि है
स्त्री के ही कारण होती आनंद की वृष्टि है

यदि पुनर्जन्म है तो हे विधाता ! सुन लो मेरी पुकार
वरदान दो कि मैं स्त्री ही बनूँ हर बार बार-बार

दिक्कत है तो बोलो भाई ?

श्री विनायक बोकड़े
सहा. पर्यवेक्षक

दिक्कत है तो बोलो भाई ?

हीट को गर्मी या ताप कहने में
यू को तुम या आप कहने में
स्टीम को भाप कहने में
मेजरमेंट को नाप कहने में
दिक्कत है तो बोलो भाई ?

बैड को बुरा या खराब कहने में
वाइन को दारू या शराब कहने में
बुक को पुस्तक या किताब कहने में
शॉक्स को मोजे या जुराब कहने में
दिक्कत है तो बोलो भाई ?

डिच को गड्ढ़ा या खाई कहने में
आंटी को चाची या ताई कहने में
बार्बर को नाऊ या नाई कहने में
कुक को रसोईया या हलवाई कहने में
दिक्कत है तो बोलो भाई ?

इनकम को कमाई या आय कहने में
जस्टिस को न्याय कहने में
एडवाइस को राय कहने में
टी को चाय कहने में
दिक्कत है तो बोलो भाई ?

फ्लैग को झंडा कहने में
स्टिक को डंडा कहने में
कोल्ड को ठंडा कहने में
एग को अंडा कहने में
दिक्कत है तो बोलो भाई ?

कॉट को चारपाई कहने में
वॉशिंग को धुलाई कहने में
पेंटिंग को रंगाई-पुताई कहने में
वाइफ को पत्नी या लुगाई कहने में
दिक्कत है तो बोलो भाई ?

स्मॉल को छोटा या छोटी कहने में
फैट को मोटा या मोटी कहने में
टॉप को ऊँचा या चोटी कहने में
ब्रेड को चपाती या रोटी कहने में
दिक्कत है तो बोलो भाई ?

ब्लैक को काला कहने में
लॉक को ताला कहने में
बाउल को प्याला कहने में
जेवलीन को भाला कहने में
दिक्कत है तो बोलो भाई ?

गेट को दरवाजा या द्वार कहने में
अटैक को वार कहने में
लव को लगाव या प्यार कहने में
फीवर को बुखार कहने में
दिक्कत है तो बोलो भाई ?

लॉस को घाटा कहने में
मील को आटा कहने में
फॉर्क को काँटा कहने में
स्लैप को चाँटा कहने में
दिक्कत है तो बोलो भाई ?

टीम को टोली कहने में
बुलेट को गोली कहने में
साथी को हमजोली कहने में
ब्लाउज को चोली कहने में
दिक्कत है तो बोलो भाई ?

बुश को झाड़ कहने में
हिल को पहाड़ कहने में
पिकल्स को अँचार कहने में
तिकड़म को जुगाड़ कहने में
दिक्कत है तो बोलो भाई ?

नाईट को निशा या रात कहने में
कास्ट को समूह या जात कहने में
टॉक को गपशप या बात कहने में
किक को दुलत्ती या लात कहने में
दिक्कत है तो बोलो भाई ?

सन को बेटा या संतान कहने में
ग्रेट को बड़ा या महान कहने में
एविल को शैतान कहने में
गॉड को ईश्वर या भगवान कहने में
दिक्कत है तो बोलो भाई ?

ब्रास को काँसा कहने में
होप को आशा कहने में
डिसअप्वाइंटमेंट को निराशा कहने में
ऑफिशियल लैंग्वेज को राजभाषा कहने में
दिक्कत है तो बोलो भाई ?

बोलना, पढ़ना, लिखना आसान है
हिंदी देश की धड़कन है, जान है
संवेदनाएँ हैं, आँख और कान है
विश्व-पटल पर भारत की पहचान है
अपनी राजभाषा की इज्जत करने में
अपना काम हिंदी में करने में
दिक्कत है तो बोलो भाई ?

हिंदी का पौधा दक्षिणवालों ने त्याग से सींचा है - शंकरराव कप्पीकेरी

आयकर का महत्व

श्री अजीत कुमार
आँ.प्र.प्र.

नौकरीपेशा लोगों के घर मे
बेचैन से हो रहे उनके मन में
बजट का दिन
विशेष होता है
दिमाग के कोनें कहीं छिपकर बैठा
जिन्दगी जीने का निश्चय
अभी भी शेष होता है

इस वर्ष का बजट आया
और मैं खुशी से उछलने लगा
सरकार की दरियादिली पर मचलने लगा
हमने पत्नी से कहा भाग्यवान !
देखो सरकार ने दिया है कैसा वरदान

अगर तुम कोई बिजनेस का प्लान बनाओगी
तो सरकार से दो करोड़ का टर्म लोन पाओगी
लो खुल गई तुम्हारी किस्मत !
पत्नी बोली - धत् !!
तुम्हारे होते मैं कमाऊं, ऐसी कौन सी आफत है ?
जब मर्जी हो तुम्हारा पॉकेट साफ कर सकती हूँ,
मुझे लोन की क्या जरूरत है ?

पत्नी को समझाने की हिम्मत किसी में नहीं होती
मुझमें भी नहीं थी
चुपचाप सो गया

अगले दिन ऑफिस का हाल विचित्र था
मेरा एक सहकर्मी गुमसुम था, परेशान था
हाल देखकर हर कोई हैरान था

मैंने कहा, श्रीमान, कुछ कहिए !
आपको क्या कष्ट है
वो बोले, हृदय बहुत रुष्ट है।
पहले बारह लाख कमाते थे, थोड़ा बहुत टैक्स चुकाते थे
मुहल्ले में इज्जत थी
रिश्तेदारों में सम्मान था

आयकर विभाग आने-जाने का अभिमान था
अब बारह लाख तक की कमाई हो गई है कर मुक्त
हम हो गए हैं शर्मयुक्त और लज्जायुक्त
पंद्रह लाख कमाने वाला पड़ोसी मूंछ पर
ताव देकर अकड़ रहा है
हमें शर्मिंदा करने के लिए हर नुक्कड़ पर पकड़ रहा है
हमें लगता है कि बारह लाख कमाकर भी
हम हर किसी के पीछे आ गए हैं
पहले मध्यमवर्गीय कहलाते थे
अब गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं ।

हिंदी भाषा की उन्नति के बिना हमारी उन्नति असम्भव है – गिरिधर शर्मा

अधिकार

श्री जय राम सिंह
कनिष्ठ अनुवादक

जीवन पाया परम-पिता से क्या उनका उपकार नहीं है ?
गिन लेते अपनी साँसों को, हमको वह अधिकार नहीं है ।

किसी कली के खिल पाने से, पहले पतझड़ छा जाता है
कोई फूल बहारों के आने का पता बता जाता है
उपवन में कितने दिन पतझड़, कितने समय बहार रहेगी,
यह तय करने का उपवन के माली को अधिकार नहीं है।
गिन लेते अपनी साँसों को, हमको वह अधिकार नहीं है ।

बादल केवल जल बरसाते, धरती केवल फ़सल उगाती
कई चरण होते श्रम के, तब जा कर रोटी भूख मिटाती
कभी बाढ़ या अनावृष्टि से नष्ट, कभी भरपूर फ़सल हो,
कब क्या होगा, यह कह पाना, कृषकों का अधिकार नहीं है।
गिन लेते अपनी साँसों को, हमको वह अधिकार नहीं है ।

जन्म नहीं जब अपने वश में, इसे भाग्य माना जाता है
जीवन का घटनाक्रम सारा, ख़ुद से अनजाना जाता है
फिर अन्तिम पड़ाव जीवन के कितने वर्ष बिता कर होगा?
यह तय करने का भी भैया ! प्राणी को अधिकार नहीं है।
गिन लेते अपनी साँसों को, हमको वह अधिकार नहीं है ।

जीवन है तो सुख-दुख होंगे, कई तरह की बातें होंगी
उर में जितना उत्सव होगा, उतनी सुंदर रातें होंगी
जीवन के अन्तिम पड़ाव का, सही समय तय कर लें हम क्यों ?
यह केवल ईश्वराधीन है, मालूम किसी प्रकार नहीं है।
गिन लेते अपनी साँसों को, हमको वह अधिकार नहीं है ।

बूझो तो जाने

(इनके उत्तर पत्रिका के इसी अंक में किसी जगह हैं, यदि आपको नहीं पता, तो खोजें !)

सुश्री शिवानी
स.ले.प.अ

1.
ऐसा कौन सा पति है जो जंगल में भी रहता है और
शहर में भी रहता है ?

2.
चार पाँव रहते तैयार, पर चलने में है लाचार ?

3.
गूँगा है, बहरा है, अंधा है
हर घर में उसका धंधा है
चेहरे की गुत्थियाँ खोलता है
कौन है जो सच बोलता है ?

4.
उसे पीटने पर मज़ा आता है
चोर नहीं है वह, सजा नहीं ईनाम पाता है ?

5.
लडकियाँ मुझे पहनकर आती हैं और जाती भी हैं
मैं वह हूँ जिसे लड़कियाँ खाती भी हैं ?

6.
छोटा हूँ पर बड़ा कहलाता,
रोज दही की नदी में नहाता ?

7.
खड़ा पर भी खड़ा,
बैठने पर भी खड़ा ?

8.
हरा आटा, लाल परांठा
मिल–जुल कर सब सखियों ने बाँटा ?

9.
बिन खाए, बिन पिए, सबके घर में रहता हूँ
ना हँसता हूँ, ना रोता हूँ, घर की रखवाली करता हूँ ?

10.
कान हैं पर बहरी हूँ
मुँह है पर मौन हूँ
आँखें हैं पर अंधी हूँ, बताओ मैं कौन हूँ ?

11.
लाल-लाल आँखे,
लम्बे-लम्बे कान,
रुई का फुहासा,
बोलो क्या है उसका नाम ?

12.
अपनों के ही घर ये जाते
तीन अक्षर का नाम बताते
शुरु के दो अति हो जाए
अंतिम दो से तिथि बताते ?

13.
काली है पर काग नहीं
लम्बी है पर नाग नहीं
बल खाती है ढ़ोर नहीं
बाँधते हैं पर डोर नहीं ?

14.
खड़ी करो तो गिर-गिर जाए
दौड़ी मीलों-मीलों जाए
नाम बता दो इसका हमको
ताकि मंजिल तक पहुँचाए ?

15.
चार है रानियाँ एक है राजा
साथ मिलकर बजाते बाजा ?

"हिंदी भाषा नहीं, यह आत्मा है भारतीयता की।" – रामधारी सिंह दिनकर

0-2 से 4-2 तक

श्री चित्राक्ष भट्ट
लिपिक

खेल के प्रति मेरा झुकाव बचपन से ही है । अपने बाल्यकाल में खेल को अधिक समय देने और पढ़ाई को कम समय देने का परिणाम मैंने कई बार भुगता है । लेकिन समय देना या न देना अपनी जगह, पढ़ाई में मेरा रिजल्ट हमेशा अच्छा ही रहा । खेल को पेशेवर तरीके से खेलना मैंने तब शुरु किया जब मैं छठी कक्षा में था । प्रारंभ में जो भी खेल मेरे सामने आता, मैं खेल लेता ।

मेरे परिवार में खेल का माहौल है । मेरी बड़ी बहन टेबल टेनिस की अच्छी खिलाड़ी हैं । धीरे-धीरे मुझ पर भी किसी एक खेल पर फोकस करने का धुन सवार होने लगा । मेरी आदर्श अर्थात् मेरी बड़ी बहन मेरे सामने थी । मेरे लिए कोई कारण नहीं था कि मैं किसी दूसरे खेल के बारे में सोचता । मैने भी टेबल टेनिस को ही लक्ष्य-खेल बना लिया ।

समय की गाड़ी चलती रही । 10वीं बोर्ड, 12वीं बोर्ड होते-होते ग्रैज्युएशन की प्रक्रिया भी चल पड़ी । अपने स्कूली दिनों में मुझे एशियन स्कूल चैम्पियनशिप में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला । इस प्रतियोगिता में मेरी टीम ने एक रजत पदक और दो कांस्य पदक जीते । फिर मुझे एक बड़ा अवसर मिला जब 2022 में राष्ट्रीय खेलों के लिए मेरा चयन हुआ । इस प्रतियोगिता में मैंने स्वर्ण पदक जीता। विश्वविद्यालय के स्तर पर भी मुझे अनेक प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिला । इनमें से कुछ आसान मुकाबले थे तो कुछ बहुत कठिन । ऐसे ही एक कठिनतम मुकाबले की कहानी आपको सुनाता हूँ ।

मेरे जीवन की सबसे कठिन और सबसे बड़ी जीत में से एक चीन के खिलाफ एशियाई टेबल टेनिस चैम्पियनशिप के सेमीफाइनल में आई। मैं चीन के एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहा था । मुकाबला शुरु हुआ और मेरा प्रतिद्वंद्वी हावी हो गया । एक समय मैं 0-2 से पिछड़ गया था । मैं खेल में अपनी स्वाभाविक लय खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था । अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दबाव ऐसे ही बहुत अधिक होता है, और यह मैच तो चीनी खिलाड़ी के खिलाफ था । चीन और पाकिस्तान, ऐसे दो देश हैं जहाँ के खिलाड़ियों को हराना ही हराना होता है । 0-2 से पिछड़ने के बावजूद मेरा दिल हार मानने को तैयार नहीं था । खेलों के बीच ब्रेक के दौरान, मैंने एक गहरी साँस ली, स्वयं को टटोला, अपनी मानसिकता को रिसेट किया और अपनी रणनीति को समायोजित किया । तीसरे सेट में मैंने आक्रामक रिटर्न्स और सटीक प्लेसमेंट पर ध्यान केंद्रित किया । गति हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की । उस गेम को जीतने से मुझे आत्मविश्वास मिला । तीसरे सेट की जीत और उससे उपजी ऊर्जा की निरंतरता पर फोकस करते हुए मैं चौथे सेट में ले आया । चौथे सेट में मैं अधिक नियंत्रण और विविधता के साथ खेल रहा था । जैसे ही मैंने मैच को 2-2 से बराबर किया, वातावरण बदल गया था । अब मेरा प्रतिद्वंद्वी दवाब महसूस कर रहा

था । मैंने हर अवसर को भुनाया । खेल की गति को आगे बढ़ाया और रैलियों की सटीकता पर ध्यान दिया । जब तक छठा गेम शुरू हुआ, मैं पूरी तरह से लय में आ चुका था । दर्शकों का पूर्ण समर्थन मुझे प्राप्त था । खेल में दर्शकों के समर्थन और हूटिंग, दोनों के अपने फायदे और नुकसान होते हैं । दबाव में मैंने कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए । नसें तनाव में अक्सर खिंच जाती हैं । मैने नसों पर नियंत्रण किया। जब मैंने अंतिम अंक जीता, तो यह शुद्ध जीत का क्षण था, उस आनंद का वर्णन नहीं हो सकता, पूरी तरह अवर्णनीय - 0-2 से पिछड़ने के बाद 4-2 के साथ जीत, मधुर जीत !

"हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में सर्वत्र बोली जाने वाली भाषा है।" – विलियम केरी

तीन प्रश्न

श्री जय राम सिंह
कनिष्ठ अनुवादक

बहुत पुरानी बात है । मैं उस समय सात-आठ वर्ष का रहा होउँगा । मेरी माताजी अक्सर बीमार रहती थी । अतः घर में रसोई आदि की देखभाल के लिए एक रसोइया को रखा गया था । घर के सारे सदस्यों को और आए हुए अतिथियों को रसोइया काका भोजन करा देते थे । लेकिन बाबूजी को भोजन कराने की जिम्मेवारी माताजी की ही थी । शाम के समय मेरे घर के दरवाजे पर गाँव के काफी लोग आते थे ।

एक बड़े से बेल के पेड़ के नीचे अनौपचारिक चौपाल लग जाती । विविध विषयों पर चर्चा होती । फिर भोजन का समय होने पर सभी अपने-अपने घरों को चले जाते । घर में नियम था कि जब रात गहराने लगे, दरवाजे पर आए लोग अपने-अपने घरों को लौट चुके हों, सभी अतिथि और घर के अन्य सदस्य भोजन कर चुके हों, तब रसोइया काका बाबूजी को भोजन के लिए बुलाने जाते थे । प्रतिदिन भोजन के आसन पर बैठते ही बाबूजी माताजी से तीन प्रश्न पूछते - 1. देवता, पितर लोग और सारे अतिथियों ने भोजन कर लिया ? 2. कर्ज चुक गया ? और 3. कर्ज दे दिए ? प्रत्येक प्रश्न के अंत में माताजी 'हाँ' कहतीं । तब बाबूजी भोजन करते । किसी-किसी दिन माताजी पहले दोनों प्रश्नों पर तो 'हाँ' बोल देतीं, परंतु तीसरे प्रश्न पर चुप हो जातीं । उस दिन बाबूजी अपनी थाली में से पाँच-छह कौर भोजन निकालकर केले के पत्ते पर रख देते और रसोइया काका को बुलाते - "इन्हें बाहर कहीं रख आइए ।" जब रसोइया काका रखकर वापस आ जाते तब बाबूजी भोजन शुरु करते ।

एक दिन मैंने माताजी से पूछा - बाबूजी रोज-रोज यही तीन प्रश्न आपसे क्यों पूछते हैं ? माताजी ने कहा - अभी तुम बच्चे हो, इस बात को नहीं समझोगे । अभी तो एक कान से सुनोगे और दूसरे वह बात बाहर निकल जाएगी । जब तुम बड़े हो जाओगे, तब ये बातें समझ में आएँगी।

कालक्रम के अनुसार अब मैं बड़ा हो गया हूँ । कमाने भी लगा हूँ । गाँव छोड़कर शहर में रहने लगा हूँ । मेरे बाबूजी और माताजी दोनों नें अपनी-अपनी जीवन लीला पूर्ण कर ली है । रविवार का दिन था । मैं 'कल्याण' नाम की एक पत्रिका पढ़ रहा था । अचानक उस पत्रिका में बाबूजी द्वारा माताजी से रोज पूछे जा रहे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए । पहला प्रश्न होता था - देव, पितर लोग और अतिथियों ने भोजन कर लिया ? इसका अर्थ था कि क्या भारतीय संस्कारों के प्रति परिवार ने अपनी जिम्मेवारी निभाई है ? परम-सत्ता का सम्मान, अपने पूर्वजों का सम्मान और द्वार पर आए अतिथियों का सम्मान - ये तीन भारतीय संस्कारों की धुरी हैं। दूसरा प्रश्न होता था - कर्ज चुका दिए ? इसका अर्थ यह है कि घर के सभी बुज़ुर्ग भोजन कर लिए ? आधुनिक व्यावसायिकता घर के बुजुर्गों को वह सम्मान नहीं देती या न देना चाहती है जिसके वे अधिकारी हैं । सोचने की बात है कि यदि घर के हमारे बुजुर्गों ने कड़ी मेहनत नहीं की होती, तो क्या उनके तथाकथित आधुनिक बच्चे आज इस स्थिति में होते ? घर के बुजुर्ग ही घर के बच्चों को पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों की शिक्षा देते हैं । यदि बुजुर्गों को ही वृद्धाश्रम में रख देंगे, तो बच्चों को वह अनमोल शिक्षा कौन देगा ? तीसरा प्रश्न होता था - कर्ज दे दिए ? इसका अर्थ है कि घर के सभी बच्चों ने भोजन कर लिया ? बच्चे कल के नागरिक हैं अर्थात्

भविष्य हैं । प्रत्येक भविष्य की उज्ज्वलता वर्तमान के पसीने से सिंचित होती है । बच्चों का सजग ध्यान रखना हर घर की जिम्मेवारी होती है ।

ये तीन प्रश्न और उनके उत्तर सफल और आदर्श गृहस्थी के मर्म हैं । अब समय काफी बदल गया है । अब मानवीय संबंधों पर व्यावसायिकता हावी हो गई है । हालाँकि अभी भी कई घरों में देवताओं और पितरों को भोग लगाया जाता है । लेकिन अब हमारे घरों से बुज़ुर्ग गायब हो रहे हैं । या तो वे किसी वृद्धाश्रम में अपनी अंतिम साँस की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं या दूर देश में बसे अपने बच्चों को वीडियो कॉल पर देख-देखकर जी रहे होते हैं । सिर्फ बुजुर्ग ही गायब नहीं हुए, बच्चे भी तेजी से गायब हो रहे हैं । कहीं लॉजिंग स्कूल में पढ़ रहे हैं तो कहीं कमाने गए हैं । जब बच्चों की उम्र बुज़ुर्गों से जीवन के संस्कार सीखने की होती है तभी वे बाहर भेज दिए जा रहे हैं । ऐसे में बच्चों में संस्कार कहाँ से आएँगे ?

धरती का स्वर्ग कोंकण

श्री प्रदीप बाळू जाधव
बहुकार्य कार्मिक (अस्थाई)

प्रकृति ने धरती के कुछ भागों का सौंदर्य अपने हाथों बढ़ाया है । ये सभी भाग धरती के स्वर्ग कहे जाते हैं । कोंकण भी धरती पर एक ऐसा ही स्वर्ग है । कोंकण की हरियाली मन को लुभाती है । यहाँ बड़े-बड़े ऊँचे-ऊँचे पहाड़ हैं । 560 किलोमीटर तक समुद्र फैला हुआ है, नदी है, झरने हैं । बरसात के मौसम में इंद्रधनुष अनुपम छटा बिखेरता है । बहुत सारे यात्री वर्षा के मौसम में कोंकण देखने आते हैं । इन दिनों का नजारा कुछ अलग ही होता है । कुदरत ने दोनों हाथों से कोंकण के रूप को निखारा है । कोंकण को कैलिफोर्निया भी कहा जाए तो ग़लत बात नहीं होगी ।

कोंकण में दो बड़े त्योहार धूमधाम से मनाते हैं । एक है होली जिसे हम शिमगा भी कहते हैं और दूसरा गणपति-उत्सव । कोंकण के यही दो मुख्य त्योहार हैं । कोंकण के क्षेत्र में भोजन की विविधता प्रसिद्ध है । यहाँ के कोंबड़ी-बड़े बहुत ही मशहूर हैं । अगर आप यहाँ आएँगे और कोंबड़ी-बड़े खाए बिना ही चले गए तो आपकी यात्रा अधूरी समझी जाएगी । होली के समय गणपति के दिनों में यहाँ नमन या दशावतार और जाकड़ी जैसे मनोरंजन के कार्यक्रम हेते हैं । इसमें यहां लोक-जागृति करते हैं । पौराणिक कथाओं में भी इनका उल्लेख है । कोंकण के लोग इसे बड़े प्यार से देखना पसंद करते हैं ।

कोंकण में चावल और नाचणि की खेती बहुत होती है । खाने में यही अधिकतर मिलते हैं । यहाँ काजू, फणस और आम अधिक होते हैं । यहाँ का हापूस आम तो सारी दुनिया में मशहूर है । यहाँ नारियल के बागान भी बहुत जगहों पर देखने के लिए मिल जाएँगे । यहाँ नारियल की खेती भी बहुत होती है । नारियल से बने पदार्थ तथा डेकोरेटिव वस्तुएँ यहाँ खूब बनती हैं । मछली यहाँ का मुख्य अन्नघटक है । कोंबड़ी-बड़े बहुत ही रुचि से लोग पसंद करते हैं । खाने में नारियल का ज्यादातर व्यवहार किया जाता है ।

यहाँ के लोगों का पहनावा भी सीधा-सादा होता है । यहाँ एक गाँव में छोटे-छोटे विभाग होते हैं जिन्हें मराठी में वाड़ी कहते हैं । इससे पूरा एक गाँव बन जाता है । अलग-अलग जाति धर्म के होकर भी एक दूसरे के सुख-दुख में शामिल होते हैं । कोंकण के किसानों को भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । परंतु मैं एक बात गर्व से कहता हूँ कि हमारा कोंकण का किसान कभी भी आत्महत्या नहीं करता है । जो जितना कमाता है जितना उगाता है उसमें ही खुश रहता है और न ही कभी हिस्सेदारी के लिए मारामारी करते हैं । कोंकण की मिट्टी की खुशबू ही ऐसी है कि सब को जूझने को प्रेरित करती है ।

कोंकण में तीसरी और दूसरी सदी में मौर्यों का राज्य था और कुछ समय के लिए सातवाहन राज्य की सत्ता भी थी । यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन भी था । दो चीनी बौद्ध भिक्षु कोंकण इलाके का अध्ययन करने आए थे । उन्होंने कोंकण-दर्शन का वर्णन अपनी पुस्तकों में किया है । आधुनिक समय

में कोंकण रेलवे ने और और अन्य सड़क-मार्गों ने इस क्षेत्र को पूरे देश से जोड़ दिया है । मुंबई के पास अलीबाग से लेकर सुदूर गोवा तक कोंकण का क्षेत्र फैला है जहाँ कई रमणीक दर्शनीय स्थल हैं । प्रत्येक भारतवासी को समय निकालकर कम से कम एक बार कोंकण ज़रूर आना चाहिए ।

"भाषा वही जीवित रहती है, जो अपने समाज को जीवंत बनाए रखे।" – महादेवी वर्मा

किसने सीटी बजाई

श्री सचिन पन्नू
लेखापरीक्षक

क्लास रूम में प्रोफेसर ने एक सीरियस टॉपिक पर चर्चा प्रारंभ की। जैसे ही वे ब्लैकबोर्ड पर कुछ लिखने के लिए पलटे तो तभी एक शरारती छात्र ने सीटी बजाई । प्रोफेसर ने पलटकर सारी क्लास को घूरते हुए पूछा - "सीटी किसने मारी?" लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया । प्रोफेसर ने शांति से अपना सामान समेटा और आज की क्लास समाप्त बोलकर बाहर की तरफ बढ़े । स्टूडेंट्स खुश हो गए कि चलो अब फ्री हैं ।

अचानक प्रोफेसर रुके, वापस अपनी जगह पर पहुँचे और बोले - "चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इससे हमारे बचे हुए समय का उपयोग भी हो जाएगा और तुमलोगों का मन भी लगेगा ।" सभी स्टूडेंट्स उत्सुकता और इंटरेस्ट के साथ कहानी सुनने लगे । प्रोफेसर साहब ने कहानी शुरु की - "कल रात मुझे नींद नहीं आ रही थी । काफी प्रयास किए लेकिन नींद नहीं आई । तब मैंने सोचा कि कार में पेट्रोल भरवाकर ले आता हूँ जिससे सुबह मेरा समय बच जाएगा। पेट्रोल पम्प से टैंक फुल कराकर मैं आधी रात को सुनसान सड़क पर ड्राइव का आनंद लेने लगा । अचानक एक चौराहे के कॉर्नर पर मुझे एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखी ।"

- "लड़की ?" लड़की का जिक्र आते ही पूरे क्लास का इंटरेस्ट दोगुना हो गया - "फिर क्या हुआ सर ?" - सारे स्टूडेंट्स एक साथ पूछने लगे ।

- "बताता हूँ, धैर्य रखो और हाँ ध्यान से सुनना । बेवकूफ की तरह टोका-टोकी नहीं करना ।"

प्रोफेसर साहब ने कहानी को आगे बढ़ाया - "लड़की का ड्रेस शानदार था । इतनी देर रात को वह सड़क पर अकेली खड़ी थी । मानवीयता के आधार पर मैंने कार रोकी और उससे पूछा कि क्या मैं उसकी कोई सहायता कर सकता हूँ ? तो उसने कहा कि उसे उसके घर ड्रॉप कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी । मैंने सोचा नींद तो वैसे भी नहीं आ रही है, चलो, इसे इसके घर छोड़ देता हूँ । वह मेरी बगल की सीट पर बैठ गई । रास्ते में हमने बहुत बातें कीं । वह बहुत इंटेलिजेंट थी, ढेरों टॉपिक्स पर उसका कमाण्ड था । जब कार उसके बताए एड्रेस पर पहुँची तो उतरने से पहले वह बोली कि वह मेरे नेचर और व्यवहार से बेहद प्रभावित हुई है और मुझसे प्यार करने लगी है । मैं खुद भी उसे पसंद करने लगा था । मैंने उसे बताया कि मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ । सुनकर वह बहुत खुश हुई । फिर उसने मुझसे मेरा मोबाइल नंबर लिया और अपना नंबर दिया । अंत में उसने बताया कि उसका भाई भी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता है । साथ ही उसने मुझसे रिक्वेस्ट भी किया कि मैं उसके भाई का ख़याल रखूँ । मैंने कहा कि तुम्हारे भाई के लिए कुछ भी करने पर मुझे बेहद खुशी होगी । क्या नाम है तुम्हारे भाई का...?? इस पर लड़की ने कहा कि बिना नाम बताए भी आप उसे पहचान सकते हैं क्योंकि वह क्लास में सीटी बहुत ज्यादा और बहुत बढ़िया बजाता है ।"

जैसे ही प्रोफेसर ने सीटी वाली बात की तो तुरंत क्लास के सभी स्टूडेंट्स उस छात्र की तरफ देखने लगे, जिसने प्रोफ़ेसर की पीठ के पीछे सीटी बजाई थी । प्रोफेसर उस लड़के की तरफ घूमे और उसे घूरते हुए बोले - "बेटा, मैंने अपनी पी.एच.डी की डिग्री टमाटर छीलकर हासिल नहीं की है, निकल क्लास से बाहर ... !!"

हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है - कमलापति त्रिपाठी

तनाव : एक समस्या

श्रीमती नयना केळसकर
सह. पर्यवेक्षक

तनाव शायद आज मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। पिछले कुछ दशकों में इस समस्या ने सचमुच हमारे स्वास्थ्य को नष्ट कर दिया है। लेकिन वास्तव में तनाव क्या है? इसकी पहचान कैसे करें? और इस पर कैसे काबू पाया जाए? तनाव वस्तुतः किसी खतरनाक या कठिन परिस्थिति के प्रति हमारे शरीर की प्रतिक्रिया है। हमारे जीवन में इसका मतलब यह है कि जब हम अपनी प्राकृतिक क्षमता से कहीं अधिक शारीरिक और मानसिक रूप से काम करते हैं तो हम खुद पर दबाव डालते हैं।

हमारी पिछली पीढ़ियों को इतना भयानक तनाव नहीं झेलना पड़ा। निश्चित रूप से उनके अपने मुद्दे थे, लेकिन अधिकांश भाग में उन्होंने उनके मानसिक और वैकल्पिक रूप से शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला। पिछले कुछ वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, काम करने के तरीके, काम के घंटे, जीवनशैली में तेजी से बदलाव आ रहा है। मानव मस्तिष्क में वास्तव में परिवर्तन को आत्मसात करने और उसके अनुकूल ढलने की जन्मजात क्षमता होती है। लेकिन जिस तेजी से हमारे आसपास की परिस्थितियां बदल रही हैं, मानव मस्तिष्क की अनुकूलन क्षमता बहुत धीमी है और यही आज हमारे जीवन में तनाव का मूल कारण है। इस तनाव का असर व्यक्ति के शरीर और दिमाग पर तेजी से देखने को मिलता है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर, मोटापा के साथ-साथ अवसाद, चिंता जैसी मानसिक बीमारियाँ भी तनाव का परिणाम हो सकती हैं।

तो अब क्या करना है? हम अपने मन की प्रकृति को नहीं बदल सकते और बाहरी दुनिया में तेजी से हो रहे बदलावों और विकास पर हमारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है। लेकिन हम निश्चित रूप से अपने तनाव को कम कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवनशैली अपना सकते हैं। इसके लिए पहला कदम है गहराई में जाना और समझना कि हमारे जीवन में यह तनाव कैसे पैदा होता है। दरअसल, तनाव के कारण भले ही असंख्य हों, लेकिन इसके मूल में किसी न किसी प्रकार के 'डर' की मूल भावना होती है। यह डर भविष्य में उत्पन्न होने वाली एक कठिन या अप्रिय स्थिति हो सकती है, काम में असफलता या उम्मीद से कम प्रदर्शन, घर में रिश्तों में कड़वाहट, पारिवारिक अपमान या प्रियजनों की देखभाल करने का डर भी तनाव की जड़ में हो सकता है। इसके अलावा, आजकल बच्चों को अच्छी नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, अगर मिल भी जाती है तो वे उसका भरण-पोषण नहीं कर पाते हैं, इसलिए मध्यम आयु वर्ग के माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य के जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए उनकी देखभाल करके अपना तनाव बढ़ाते हैं। बच्चे के लिए घर, गाड़ी सब इकट्ठा करते समय वह अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता।

तनाव अपरिहार्य है क्योंकि जीवन तनावपूर्ण है। तनाव लंबे समय तक रहने पर चिंता का रूप ले लेता है। मानसिक एकाग्रता गिरती है। सिरदर्द शुरू हो जाता है. पढ़ाई में दिक्कतें आती हैं. थकान महसूस कर रहा हूँ। तनाव का मन और शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। कई बार मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। चिड़चिड़ापन आ जाता है. गुस्सा बढ़ता है. स्वास्थ्य ख़राब हो जाता है. इसके अलावा मानसिक बीमारी भी घेर लेती है। अनिद्रा, सिरदर्द, माइग्रेन, अवसाद, उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी समस्याएं, मोटापा, एसिडिटी, अल्सर, बालों का झड़ना आदि।

आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं. एक मिनट में तनाव कम करने के लिए नीचे कुछ सरल उपाय दिए गए हैः-

1. गहरी सांस लें. आप अपनी सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी साँस लेने से आपकी बढ़ी हुई हृदय गति को धीमा करने में मदद मिलती है। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। इससे मानसिक शांति बढ़ती हैं। यह आपके शरीर की मांसपेशियों पर तनाव को कम करने में मदद करता है। हमेशा गहरी सांस लेने वाला मास्क पहनें। यह तनाव को कम करने में मदद करता है।
2. मित्रों को कॉल करें. दोस्तों और प्रियजनों के साथ दिल खोलकर बातचीत करें। इससे दिमाग पर तनाव कम होता है।
3. अपने लिए कुछ समय निकालें और योग और हल्का व्यायाम करें। बिना सोचे-समझे 15 से 20 मिनट तक आंखें बंद करके बैठें।
4. पढ़ने, लिखने या किसी शौक के लिए कुछ समय निकालें। टीवी देखकर या संगीत सुनकर अपना मनोरंजन करें। इससे दिमाग को थोड़ा आराम मिलता है। इस पर ध्यान केन्द्रित करें । यह तनाव दूर करने में मदद करता है। साथ ही अगर हम तनाव से दूर रहना चाहते हैं तो कुछ उपाय भी कर सकते हैं। तनाव कम करने के कई तरीके हैं जैसे समय पर सोना, अपने शेड्यूल का पालन करना। इसके लिए सुबह से लेकर शाम तक हर काम की योजना एक दिन पहले ही बना लें. निर्धारित करें कि कौन सा कार्य पहले किया जाना चाहिए, कब शुरू करना चाहिए और कब समाप्त करना चाहिए।

मानसिक स्वास्थ्य और नींद एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं इसलिए इस पर समय रहते ध्यान देना चाहिए। तनाव से दूर रहने के उपाय क्या हैं?

1. मोबाइल फ़ोन का उपयोग कम करें. मोबाइल, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमें आदी बना देते हैं। अनजाने में हम इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी समय बिताते हैं। मोबाइल फोन के इस्तेमाल से तनाव बढ़ता है। अगर आप तनाव कम करना चाहते हैं तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद कर दें।
2. पेट थेरेपी सबसे अच्छी थेरेपी है। यदि हम घर में बिल्ली, कुत्ता, खरगोश, पक्षी पालते हैं तो हमारा तनाव कम होता है। हम जानवरों को कुछ भी कह सकते है। जानवर हमारे बारे में कोई राय नहीं बनाते. इसलिए जो लोग हमेशा तनाव में रहते हैं उन्हें जानवर पालने के लिए कहा जाता है।

3. कॉफी, चाय, ठंडे पेय यानी सोडा ड्रिंक, चॉकलेट आपको नींद दिला सकते हैं। जिन चीज़ों में कैफीन होता है वे हमें तनावग्रस्त कर देती हैं। अगर आप तनाव कम करना चाहते हैं तो सोते समय इन चीजों को खाने-पीने से बचें

4. नींद और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। अच्छी नींद से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य से अच्छी नींद आती है। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग शांत रहता है। सोने और जागने का समय निश्चित हो तो व्यक्ति तनाव से दूर रहता है।

5. व्यायाम तनाव से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है! व्यायाम से तनाव कम होता है। सप्ताह में तीन बार व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम तनाव से लड़ने का एक शानदार तरीका है। व्यायाम मस्तिष्क को अधिक डोपामाइन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन का उत्पादन करने में मदद करता है जो तनाव को कम करता है।

मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूँ । पर मेरे ही देश में हिंदी की इज्जत न हो, यह मैं सहन नहीं कर सकता – आचार्य विनोबा भावे

संवेदनशून्यता

अजीत कुमार
आँ.प्र.प्र.

महानगर का एक सुप्रसिद्ध अस्पताल। वार्ड नंबर तीन, बेड नंबर तेरह और साल के आखिरी महीने की तेइसवीं तारीख। सैंकड़ों मरीजों में से एक सुखदेव नामक मरीज का इलाज चल रहा था ।

अभी कुछ समय पहले तक मरीज सुखदेव की साँसें चल रही थीं, किन्तु अब नहीं । सुखदेव की साँसें थम चुकी हैं । अस्पताल में लगभग हर जगह लिखा था - कृपया ऊँची आवाज़ में बातें न करें, अनावश्यक शोरगुल न करें, आपके ही मरीजों को परेशानी होती है । सुखदेव के परिजन अस्पताली अनुशासन का सम्मान करते हुए गहरी सिसकियाँ ले लेकर सुबक रहे थे । तभी सुखदेव का बेटा रज्जू धैर्य धारण करते हुए अस्पताल की औपचारिकताएँ पूरी करने लग गया । मृत शरीर को ले जाने हेतु शव वाहन परिसर में आकर खड़ा हो गया था। वार्ड दूसरी मंजिल पर था तभी किसी ने कहा स्ट्रेचर ले आओ तब इन्हें लेकर चला जाए।

ड्यूटी पर तैनात भावी भगवानों (जूनियर डॉक्टरों) से स्ट्रेचर के बारे में पूछा तो जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो। नर्स से पूछा गया तो बोली वार्ड बॉय से पूछो, वार्ड ब्वॉय बोला कि यहीं कहीं होगा देख लो। गार्ड महोदय का भी कुछ ऐसा ही जवाब था। घर वालों ने ऊपर से नीचे तक स्ट्रेचर खोज डाला, पर कहीं नहीं मिला। अन्त में निर्णय लिया गया कि तीन चार लोग पकड़ कर हाथ पर ही लिटाकर ले चलते हैं । सबके हाथों को मिलाकर एक स्ट्रेचर तैयार हुआ और उस पर रखा गया सुखदेव का मृत शरीर ।

इस तरह स्ट्रेचर तैयार कर उधर परिजन सुखदेव का मृत शरीर लेकर नीचे की तरफ बढ़े और इधर धरती के भावी भगवान स्टाफ संग चाय की चुस्कियां लेते हुए हँसी-मज़ाक और गप-शप में व्यस्त रहे ।

मेरा सफ़रनामा

श्रीमती वीणा शिरशाट
पर्यवेक्षक

हम कोंकणवासियों को अक्सर गाँव जाना होता है, कभी त्योहारों में, कभी रिश्तेदारों के उत्सवों में शामिल होने के लिए तो कभी किसी अन्य कारण से । हम भले ही मुंबई में रहते हों, पर हमारी जड़ें कोंकण में ही बसी है । मेरे किसी रिश्तेदार के घर में विवाहोत्सव था । हमें शामिल होना ही था । नियत दिन हम अपने गाँव के रास्ते में थे ।

विवाह-समारोह संपन्न हुआ, निकटवर्ती और दूरवर्ती, सभी तरह के रिश्तेदारों से मिलना-जुलना हुआ । अब हमलोग वापस अपनी कर्मभूमि मुंबई की ओर लौट रहे थे । हमारी वापसी की यात्रा बस से हो रही थी । समय-सारणी के अनुसार हमलोग शाम को मुंबई पहुँचनेवाले थे ।

बस हाईवे पर सरपट भागी जा रही थी । सब कुछ अच्छा चल रहा था । तभी अचानक एक अप्रत्याशित घटना घटी । बस में एक अजीब तरह की दुर्गंध आने लगी । बस में बैठे यात्रियों को साँस लेने में समस्या होने से बेचैनी बढ़ने लगी । स्थिति को बिगड़ता देख बस के ड्राइवर-कंडक्टर को सूचना दी गई । ड्राइवर ने आपातकालीन ब्रेक लगाकर बस के बीच सड़क पर ही रोक दिया । दुर्गंध के स्रोत की छानबीन शुरु हो गई । कंडक्टर और कुछ अन्य यात्री मीटर-बॉक्स की छानबीन करने लगे । इसी बीच, बस अचानक चलने लगी । धीरे-धीरे बस की स्पीड भी बढ़ती जा रही थी । बस में अब हड़कंप मच गया था । अंदर बैठे यात्री चीखने-चिल्लाने लगे थे । बिना ड्राइवर बस को चलते देखना, देखना क्या, उसके अंदर बैठे होना अपने-आप में रोमांचकारी तो था ही, डरावना भी था । आगे-आगे बस दौड़ रही थी, पीछे-पीछे ड्राइवर-कंडक्टर और कुछ अन्य यात्री दौड़ रहे थे । बस रास्ते को छोड़कर किसी खम्भे से टकराई । ऐसा लग रहा थी कि बस कुछ ही क्षणों में बस के अंदर कोई धमाका होनेवाला हो । खम्भे से टकराकर बस के रुकते ही अंदर बैठे यात्रियों को कहा गया कि जल्दी से जल्दी बस से नीचे उतर जाएँ और दूर जाकर खड़े हो जाएँ । दहशत के मारे अंदर बैठे यात्रियों को दरवाजा, खिड़कियाँ .. जहाँ कहीं से रास्ता मिला ... कूद-फाँदकर बाहर निकल गए । इसी बीच मुझे याद आया कि मेरा हैण्डबैग बस के अंदर ही छूट गया है जिसमें मेरे सभी महँगे आभूषण हैं जिन्हें मैं विवाहोत्सव में उपयोग के लिए साथ ले गई थी । आख़िर सोने के आभूषणों और महिलाओं के बीच एक विशिष्ट संबंध तो होता ही है । मैं भी तो एक सामान्य महिला ही हूँ । बस के अंदर जाना तो छोड़िए, निकट जाने को भी कोई तैयार नहीं था । हैण्डबैग के चक्कर में मैं अपने पति पर झल्लाए जा रही थी । यह दृश्य भी अजीब था । मैं झल्ला रही थी कि आभूषणों से भरा मेरा हैण्डबैग बस के अंदर था और मेरे पति मुझ पर झल्ला रहे थे कि हैण्डबैग लेकर

क्यों नहीं उतरी । और तो और, इतना सारा आभूषण लेकर ही क्यों आई । ख़ैर, हमेशा की तरह मेरी झल्लाहटों की प्रबलता के सामने पतिदेव शांत हो गए । मैं बोली जा रही थी, लेकिन मेरी आँखों में बस के अंदर असहाय, लावारिश पड़ा मेरा बेचारा हैण्डबैग ही तैर रहा था।

थोड़ी देर के बाद परिस्थिति कुछ नियंत्रण में आई । मेरे पति ने न जाने कहाँ से साहस जुटाया और आधी खुली खिड़की से किसी तरह मेरा हैण्डबैग निकाला । मेरे हाथ में देते हुए चिल्लाए - ले लो अपने प्राण । मैंने दोनों हाथों हैण्डबैग को इस तरह झपटा मानों बरसों के बाद मिला हो । मगर यह क्या, जल्दीबाजी में मेरे पतिदेव किसी और का हैण्डबैग निकाल लाए थे । इससे पहले कि मेरे अगले कोप का आक्रमण होता, सरपट भागे बस की तरफ और इस बार सही बैग लेकर आए । सोने के महँगे आभूषणों से भरा अपना हैण्डबैग वापस पाकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा ।

कुछ देर के बाद बस की मरम्मत हेतु एक मेकैनिक आया । लेकिन एक वैकल्पिक बस की व्यवस्था तब तक हो चुकी थी । उस वैकल्पिक बस में बैठकर हमलोग मुंबई के लिए रवाना हो गए ।

इस घटना को घटे लगभग 15-20 वर्ष हो गए हैं, परंतु पूरा दृश्य अभी भी मेरी आँखों में उतना ही ताजा है जितना घटनावाले दिन था । इस रोमांचक अनुभव को जब भी याद करती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं । लेकिन इस घटना ने मुझे एक अच्छी शिक्षा भी दी कि दूर की यात्रा में महँगे आभूषणों में से सभी को ले जाना ज़रूरी नहीं है । उतना ही ले जाना चाहिए जितना सामान्य तौर पर पहना जा सके ।

लज़ीज व्यंजन

शिवानी वर्मा
आशुलिपिक

1. कटहल – कटहल एक गुणकारी फल है जिसकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है । कटहल में अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मदद कर सकते हैं । वजन कम करने में कटहल बड़े काम आ सकता है । कटहल रेसवेरेट्रॉल नामक एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत है । कटहल में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मोटापे को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं ।

कटहल में विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन-सी कारगर एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं । कटहल को आप सब्जी, अचार और पकौड़े के रूप में डाइट में शामिल कर सकते हैं । कटहल विटामिन-ए और सी से भरपूर होता है और ये दोनों ही पोषक तत्व आंखों के लिए फायदेमंद माने जाते हैं । आंखों को सेहतमंद रखने के लिए आप अपनी डाइट में कटहल को शामिल कर सकते हैं ।

कटहल को दिल की सेहत के लिए काफी लाभदायक माना जाता है । कटहल में मौजूद पोटैशियम रक्तचाप को नियंत्रित कर दिल के दौरे को रोकने में मदद कर सकता है । पाचन की समस्या से परेशान हैं तो कटहल का सेवन लाभदायक होता है । आइए, कटहल की स्वादिष्ट सब्जी को घर में बनाने की विधि देखते हैः-

सामग्री – आधा किलो कटहल, सरसों तेल, प्याज, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर

सबसे पहले कटहल को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें । फिर उन टुकड़ों को सरसों के तेल में हल्का सुनहरा रंग आने तक भून लें । फिर एक कड़ाही में थोड़ा सरसों का तेल और प्याज डालें और उसे हल्का भून लें । ध्यान रखें इसे अधिक नहीं भूनना है । उसके बाद उसमें हरी मिर्च डालें । उसके बाद भुना हुआ कटहल डालें । थोड़ा भूनने के बाद उसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डालें (आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं । फिर उसे धीमी आँच पर ढ़ँक कर तब तक पकाएँ जब तक कि वह पूरी तरह पक न जाए । लीजिए, कटहल की स्वादिष्ट सब्ज़ी तैयार हो गई है । इसे रोटी या पराठे के साथ आनंद से खाएँ ।

2. सूजी का हलवा भारतीय परिवारों में सबसे कम समय में तैयार होनेवाली मिठाई है जो अत्यंत लोकप्रिय भी है । आइए, इसे बनाने की विधि सीखते हैः-

सामग्री - एक कटोरी सूजी, एक कटोरी चीनी और चार कटोरी पानी

सबसे पहले कड़ाही में सूजी रखें और उसे घी से भिंगोएँ । अब उसे मध्यम आँच पर भूनें । जब सूजी का रंग भूरा होने लगे तो चार कटोरी पानी डाल दें । उसी समय एक कटोरी चीनी भी डालें । आप अपनी पसंद के मेवे (काजू, किशमिश आदि) भी डाल सकते हैं । इसके बाद धीमी आँच पर तब तक गरम करें जब तक आप अपनी पसंद का गाढ़ापन (Consistency) नहीं पा लेते । स्वादिष्ट हलवा तैयार हो गया है, इसका आनंद लें ।

राष्ट्रीयता का भाषा और साहित्य के साथ बहुत ही घनिष्ठ और गहरा संबंध है - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

रितू मोटवानी
व.ले.प.अ.

पिता का आशीर्वाद

जब मृत्यु का समय निकट आया तो पिता ने अपने एकमात्र पुत्र धर्मपाल को बुलाकर कहा कि बेटा मेरे पास धन-संपत्ति नहीं है जो मैं तुम्हें विरासत में दूँ । पर मैंने जीवन भर सच्चाई और प्रामाणिकता से काम किया है । मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जीवन में बहुत सुखी रहोगे और धूल को भी हाथ लगाओगे तो वह सोना बन जायेगी । बेटे ने सिर झुकाकर पिताजी के पैर छुए । पिता ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और संतोष से अपने प्राण त्याग दिए ।

अब घर का खर्च बेटे धर्मपाल को संभालना था । उसने एक छोटी सी ठेला गाड़ी पर अपना व्यापार शुरू किया । धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा । एक छोटी सी दुकान ले ली । व्यापार और बढ़ा । अब नगर के संपन्न लोगों में उसकी गिनती होने लगी । उसको विश्वास था कि यह सब मेरे पिता के आशीर्वाद का ही फल है । क्योंकि, उन्होंने जीवन में दु:ख उठाया, पर कभी धैर्य नहीं छोड़ा, श्रद्धा नहीं छोड़ी, प्रामाणिकता नहीं छोड़ी, इसलिए उनकी वाणी में बल था । उनके आशीर्वाद फलीभूत हुए और मैं सुखी हुआ । उसके मुँह से बारबार यह बात निकलती थी ।

एक दिन धर्मपाल के एक मित्र ने पूछा - तुम्हारे पिता में इतना बल था तो वह स्वयं संपन्न क्यों नहीं हुए? सुखी क्यों नहीं हुए ?

धर्मपाल ने कहा - मैं पिता की शक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ । मैं उनके आशीर्वाद की शक्ति की बात कर रहा हूँ ।

इस प्रकार वह बार-बार अपने पिता के आशीर्वाद की बात करता, तो लोगों ने उसका नाम ही रख दिया बाप का आशीर्वाद ! धर्मपाल को इससे बुरा नहीं लगता । वह कहता - मैं अपने पिता के आशीर्वाद के योग्य बनूँ, यही चाहता हूँ ।

ऐसा करते हुए कई साल बीत गए । वह विदेशों में व्यापार करने लगा । जहाँ भी व्यापार करता, उससे बहुत लाभ होता। एक बार उसके मन में आया, कि मुझे लाभ ही लाभ होता है ! तो मैं एक बार नुकसान का अनुभव क्यों न करूँ । उसने अपने एक मित्र से पूछा कि ऐसा व्यापार बताओ कि जिसमें मुझे नुकसान हो । मित्र को लगा कि इसको अपनी सफलता का और पैसों का घमंड आ गया है । इसका घमंड दूर करने के लिए इसको ऐसा धंधा बताऊँ कि इसको नुकसान ही नुकसान हो । मित्र ने उसे सहाह दी कि तुम भारत में लौंग खरीदो और जहाज में भरकर अफ्रीका के जंजीबार में जाकर बेचो । धर्मपाल को यह बात ठीक लगी । जंजीबार तो लौंग का देश है । वहां से लौंग भारत में लाते हैं और यहां 10-12 गुना भाव पर बेचते हैं । भारत में खरीद करके जंजीबार में बेचें, तो साफ नुकसान सामने दिख रहा है । परंतु धर्मपाल ने तय किया कि मैं भारत में लौंग खरीद कर, जंजीबार खुद लेकर जाऊंगा । देखूँ कि पिता के आशीर्वाद मेरा कितना साथ देते हैं ।

नुकसान का अनुभव लेने के लिए उसने भारत में लौंग खरीदे और जहाज में भरकर खुद उनके साथ जंजीबार द्वीप पहुंचा । जंजीबार में सुल्तान का राज्य था । धर्मपाल जहाज से उतरकर लंबे रेतीले रास्ते पर वहाँ के व्यापारियों से मिलने जा रहा था । उसे सामने से सुल्तान जैसा व्यक्ति पैदल सिपाहियों के साथ आता हुआ दिखाई दिया । उसने किसी से पूछा कि, यह कौन है? उत्तर मिला - यह सुल्तान हैं । सुल्तान ने उसको सामने देखकर उसका परिचय पूछा । उसने कहा - मैं भारत के गुजरात के खंभात का व्यापारी हूँ और यहाँ पर व्यापार करने आया हूँ । सुल्तान ने उसको व्यापारी समझ कर उसका आदर किया और उससे बात करने लगा ।

धर्मपाल ने देखा कि सुल्तान के साथ सैकड़ों सिपाही हैं, परंतु उनके हाथ में तलवार, बंदूक आदि कुछ भी न होकर बड़ी-बड़ी छलनियाँ हैं । उसको आश्चर्य हुआ । उसने विनम्रता पूर्वक सुल्तान से पूछा - आपके सैनिक इतनी छलनी लेकर के क्यों जा रहे हैं ? सुल्तान ने हँसकर कहा - बात यह है कि आज सवेरे मैं समुद्र तट पर घूमने आया था । तब मेरी उँगली में से एक अंगूठी यहाँ कहीं निकल कर गिर गई । अब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी, पता नहीं । इसलिए मैं इन सैनिकों को साथ लेकर आया हूँ। यह रेत छानकर मेरी अंगूठी उसमें से तलाश करेंगे ।

धर्मपाल ने कहा: अंगूठी बहुत महंगी होगी ।

सुल्तान ने कहा – नहीं ! उससे बहुत अधिक कीमत वाली अनगिनत अंगूठियाँ मेरे पास हैं । पर वह अंगूठी एक फकीर का आशीर्वाद है । मैं मानता हूँ कि मेरी सल्तनत इतनी मजबूत और सुखी उस फकीर के आशीर्वाद से ही है। इसलिए मेरे मन में उस अंगूठी का मूल्य सल्तनत से भी ज्यादा है ।

इतना कह कर के सुल्तान ने फिर पूछा - बोलो सेठ,आप क्या माल ले कर आये हो ।

धर्मपाल ने कहा कि – लौंग !

सुल्तान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा । यह तो लौंगगँका ही देश है सेठ । यहां लौंग बेचने आये हो ? किसने आपको ऐसी सलाह दी । जरूर वह कोई आपका दुश्मन होगा । यहां तो एक पैसे में मुट्ठी भर लोंग मिलते हैं । यहां लोंग को कौन खरीदेगा ? और तुम क्या कमाओगे ?

धर्मपाल ने कहा - मुझे यही देखना है कि यहाँ भी मुनाफा होता है या नहीं । मेरे पिता के आशीर्वाद से आज तक मैंने जो धंधा किया, उसमें मुनाफा ही मुनाफा हुआ । तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद यहां भी फलते हैं या नहीं ।

सुल्तान ने पूछा - पिता का आशीर्वाद ? इसका क्या मतलब ?

धर्मपाल ने कहा - मेरे पिता सारे जीवन ईमानदारी और प्रामाणिकता से काम करते रहे । परंतु धन नहीं कमा सकें ।

उन्होंने मरते समय मुझे भगवान का नाम लेकर मेरे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे हाथ में धूल भी सोना बन जाएगी । ऐसा बोलते-बोलते धर्मपाल नीचे झुका और जमीन की रेत से एक मुट्ठी भरी और सम्राट सुल्तान के सामने मुट्ठी खोलकर उंगलियों के बीच में से रेत नीचे गिराई तो ..... धर्मपाल और सुल्तान दोनों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसके हाथ में एक हीराजड़ित अंगूठी थी । यह वही सुल्तान की गुमी हुई अंगूठी थी । अंगूठी देखकर सुल्तान बहुत प्रसन्न हो गया । बोला – वाह, खुदा आप की करामात का पार नहीं । आप पिता के आशीर्वाद को सच्चा करते हो ।

धर्मपाल ने कहा - फकीर के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करता है ।

सुल्तान और खुश हुआ । धर्मपाल को गले लगाया और कहा - माँग सेठ! आज तू जो माँगेगा मैं दूँगा ।

धर्मपाल ने कहा - आप सौ वर्षों तक जीवित रहो और प्रजा का अच्छी तरह से पालन करो । प्रजा सुखी रहे । इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए ।

सुल्तान और अधिक प्रसन्न हो गया ।उसने कहा – सेठ, तुम्हारा सारा माल में आज खरीदता हूँ और तुम्हारी मुँहमाँगी कीमत दूँगा । धर्मपाल को अब अपने पिता के आशीर्वाद के प्रभाव पर कोई संदेह नहीं रह गया था ।

माता-पिता, गुरुजनों और बड़ों के आशीर्वाद हमेशा फलदायी होते हैं ।

बीकेसी और कुर्लाफोबिया

श्री जय राम सिंह
कनिष्ठ अनुवादक

कुर्ला और बाँद्रा स्टेशनों के बीच मुंबई का प्रसिद्ध व्यावसायिक उप-नगर बसा है जो बीकेसी के नाम से प्रसिद्ध है । लगभग 370 एकड़ में फैले बीकेसी का पूरा नाम बाँद्रा-कुर्ला कम्प्लेक्स है । इसे एमएमआरडीए ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से डिजाइन करके बसाया है। इस उप—नगर में पूर्ण-सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, ग़ैर-सरकारी और विदेशी कार्यालय भरे पड़े हैं । प्रसिद्ध अमेरिकी कंपनी एप्पल का स्टोर भी इसी क्षेत्र में है ।

भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), जियो वर्ल्ड सेन्टर, जियो वर्ल्ड ड्राइव, धीरुभाई अम्बानी इंटरनेशनल स्कूल आदि इस क्षेत्र में अवस्थित प्रमुख प्रतिष्ठान हैं । आधुनिक काल का सर्वाधिक खर्चीला और बहुप्रचारित विवाह समारोह जो रिलायंसप्रमुख मुकेश अम्बानी के सुपुत्र श्रीमान् अनंत अम्बानी और सुश्री राधिका मर्चेंट (अब श्रीमती राधिका अम्बानी) के परिणय का था, यहीं बीकेसी में हुआ था । विश्व का सबसे बड़ा हीरा विपणन केन्द्र (भारत डायमंड बोर्स) और प्रतिष्ठित एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट भी यहीं हैं । इसके अतिरिक्त बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स ग्राउंड एक प्रमुख क्रिकेट मैदान है जो चैरिटी मैचों और स्थानीय खेलों की मेजबानी के लिए प्रसिद्ध है और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के लिए घरेलू मैदान के रूप में कार्य करता है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलाई जानेवाली प्रस्तावित बुलेट ट्रेन का मुंबई स्टेशन भी बीकेसी में ही निर्माणाधीन है । एमएमआरडीए अर्थात् मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन डेवलपमेंट ऑथोरिटी का भी एक मैदान है जिसमें विविध प्रकार की प्रदर्शनियाँ, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम होते रहते हैं ।

एक अनुमान के अनुसार तीन लाख से अधिक लोग प्रतिदिन इस क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में काम करते हैं । और लगभग इतने ही लोग किसी न किसी काम से आते रहते हैं। अब ज़रा संख्या का अनुमान करें। इनमें से नब्बे प्रतिशत लोग बाँद्रा और कुर्ला स्टेशनों से आते हैं । वेस्टर्न लाइन से आनेवाले बाँद्रा स्टेशन पर उतरकर बस, रिक्शा (मुंबई में टेम्पो या ऑटोरिक्शा को रिक्शा कहा जाता है) या अन्य वाहनों से बीकेसी आते हैं । सेन्ट्रल लाइन और हार्बर लाइन से आनेवाले कुर्ला स्टेशन उतरकर बीकेसी की तरफ रुख करते हैं ।

कुर्ला और बाँद्रा स्टेशनों पर लम्बी दूरी की ट्रेनें नहीं रुकतीं । इसके बावजूद ये दोनों स्टेशन मुंबई महानगर में स्थित व्यस्ततम स्टेशनों में हैं । प्रातः नौ बजे से लेकर ग्यारह बजे तक और शाम साढ़े पाँच बजे से लेकर रात के नौ बजे तक इन दोनों स्टेशनों के बाहर ऊपर से देखने पर केवल नरमुंड ही दिखते हैं । ऐसा लगता है कि मनुष्यों का ज्वार-भाटा उफनकर बीकेसी में आ गया है । शुरु-शुरु में समस्या उनलोगों को होती है जो अपेक्षाकृत शांत शहरों और गाँवों से आते हैं । कमज़ोर दिलवाले यदि स्टेशनों पर सुबह और शाम के दृश्य देख लें तो किसी अनहोनी से भी इंकार नहीं किया जा सकता है । शुरु के कुछ महीने तो यह सोचते-सोचते ही निकल जाते हैं कि – ये कहाँ आ गए हम, रोजी की तलाश करते... । उस अंतहीन भीड़ में से होकर निकल जाना एक कला भी है और विज्ञान भी । कला इसलिए कि यदि आप चाहें तो भीड़ मे से भी सानंद निकल सकते हैं । विज्ञान इसलिए कि इस प्रचंड भीड़ में कब क्या करना है, यह उस समय की पारिस्थितिकीय चरांक (वैरिएबल) पर निर्भर करता है ।

मुंबई में निवास-स्थान को ठिकाना, खोली, चॉल आदि कर्णप्रिय संज्ञाओं से विभूषित किया जाता है । मुंबई की परिसीमा के अंदर सिर पर छत मिल जाना पीछे के दो-तीन जन्मों के सम्मिलित पुण्य का फल होता है । लेकिन ऐसे पुण्यात्माओं नें मुंबई को पहले से ही हाउसफुल किया हुआ है । अब मुंबई में मच्छरों को भी जगह नसीब नहीं होती। बेचारे दिन-रात भनभनाते रहते

हैं। नई नौकरी ज्वायन करनेवालों, स्थानांतरित होकर आनेवालों, नया काम-धंधा शुरु करनेवालों, बॉलीवुड में हाथ आजमानेवालों या बेहतर जीवन की तलाश में मुंबई आनेवालों को अब मुंबई में कोई ठिकाना मिलना असंभव-सा हो गया है। यहाँ तक कि अब सरकारी क्वार्टर्स भी मुंबई की परिसीमा से बाहर बनाए जा रहे हैं। इनलोगों को सत्तर से अस्सी किलोमीटर दूर विरार, नालासोपारा, टिटवाला, आसनगाँव, कर्जत, खोपोली आदि जगहों में कोई ठिकाना मिल जाता है तो स्वयं को धन्य मानने लगते हैं। लेकिन इनकी फीलिंग तब भी मुंबईवासी जैसी ही होती है। ऑफिस के लिए अथवा अपने काम-धंधे के लिए ये लोग सुबह छह से सात बजे के बीच घर से निकल जाते हैं और रात के दस से ग्यारह बजे तक घर पहुँच पाते हैं। इस प्रकार ये लोग अपने बच्चों के 'विजिटिंग पापा' कहलाते हैं। इनकी नौकरी या काम-धंधे की निरंतरता मुंबई की लोकल ट्रेनों के सहारे ही जीवित रहती है। एक दिन छोड़िए, एक घंटा के लिए भी यदि लोकल ट्रेनें रुक जाती हैं तो मुंबई की साँसें बंद होने लगती हैं।

कल्पना कीजिए ... प्लेटफ़ॉर्म पर खड़े हज़ारों लोग दिन भर ऑफिस में सिर खपाने के बाद अब अपने-अपने ठिकानों की ओर जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर तिल रखने की भी जगह शेष नहीं बची है। अभी एकाध मिनट में ही इनकी लोकल ट्रेन प्लेटफ़ॉर्म पर लगनेवाली है। यकीन मानिए, ये सभी उसी ट्रेन में चढ़ जाएँगे जो पीछे से ही भरी आ रही होगी। अगले तीन मिनट में फिर कोई दूसरी लोकल ट्रेन आएगी और प्लेटफॉर्म पर इतनी ही भीड़ होगी। सभी चढ़ भी जाएँगे। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। ट्रेन के अन्दर फ्री में बॉडी मसाज भी हो जाता है। यहाँ किसी को कोई फिक्र नहीं कि खचाखच भरे ट्रेन में कौन किसमें सट रहा है या हट रहा है।

लोकल ट्रेन के डिब्बे में हाथ से पकड़नेवाली लोहे की अनगिनत बल्लियों की स्थिति भी विचित्र है। एक-एक बल्ली से लटके कम से कम चार-पाँच लोग मिलेंगे। सारे लोगों की बाँहें ऊपर की ओर टँगी होने से शारीरिक सुगंध पूरे डिब्बे को सराबोर किए रहती है। इस सुगंध की बात करें तो सुबह के समय यह वास्तव में सुगंध होती है। विश्व के सभी महँगे ब्रांड्स का अनुभव एक आम ग़रीब यात्री को भी हो ही जाता है। लेकिन यही सुगंध शाम के समय अपने विलोम शब्द में स्वतः बदल जाती है। यदि ग़लती से भी कोई बल्ली खाली दिख जाए तो प्लेटफॉर्म के बाहर खड़े लोग समवेत स्वर में उद्घोष करते मिलेंगे कि पूरा डिब्बा खाली है। मानो खाली बल्ली का अर्थ खाली डिब्बा हो गया हो। उधर बाहर से डिब्बे के खाली होने की उद्घोषणा हुई नहीं कि यात्रियों का एक बड़ा रेला यों डिब्बे में घुसता है मानों किसी उफनती नदी पर बना कोई बाँध अचानक टूट गया हो। मुंबई में लोकल ट्रेन में चढ़ने और उतरने के व्यावहारिक, लेकिन अलिखित नियम तय होते हैं। ट्रेन के रुकने के बाद ट्रेन से उतरना असंवैधानिक गतिविधि मानी जाती है। इस नियम का आभास मुझे अपनी पहली ही लोकल ट्रेन यात्रा में हो गई थी। डिब्बे के दरवाजे पर खड़ा मैं उतरने के लिए ट्रेन के रुकने की प्रतीक्षा कर रहा था। पीछे से एक बुजुर्ग चिल्लाए – ट्रेन रुकने पर ही उतरेगा क्या ? मैं अपने-आप से पूछने लगा – 'तो कब उतरूँ ?' अगला दिन आते-आते मैं समझ गया था कि ट्रेन के रुकने के बाद का सारा समय (30 सेकेंड से एक मिनट तक) चढ़नेवालों के लिए आबंटित होता है। इस असंवैधानिक हरकत के लिए किसी न्यायालय की प्रतीक्षा किए बिना उपलब्ध भीड़ ही दंड दे देती है। अपराध करनेवाला व्यक्ति या तो उतर नहीं पाता या उतर भी गया तो कुचल दिया गया होता है, गिर गया होता है, उसके पॉकेट की बलि ले ली गई होती है, मोबाइल का मालिक बदल गया होता है या उसकी अगली ट्रेन छूट चुकी होती है।

लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मुंबई की लोकल ट्रेनों में सिर्फ नकारात्मक बातें ही होती हैं। सकारात्मक बातों की भी कोई कमी नहीं होती। मुंबई की लोकल ट्रेनें अनगिनत प्रेम-कथाओं की सफल-असफल वाहिका होती हैं। मुंबई में ही गेटवे ऑफ इंडिया भी है अर्थात् मुंबई से होकर ही पश्चिमी देशों के लोग भारत में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार पश्चिमी सभ्यता भी मुंबई से ही भारत

में प्रवेश करती है। विश्वास न हो तो बॉलीवुड को देख लीजिए। खुला प्रेम यहाँ की विशेषता है। अर्दा-पर्दा-मर्यादा जैसी फालतू चीजों के चक्कर में मुंबईवाले नहीं पड़ते। जहाँ जी चाहा, शुरु हो गए।

आपको असली साम्यवाद के दर्शन करने हों तो रूस या क्यूबा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुंबई की लोकल ट्रेनों से यात्रा कीजिए, बस । यहाँ करोड़पति और ग़रीब पति, दोनों ही श्रेणी के लोग लोकल ट्रेनों में यों लटकते मिलेंगे मानों बाघ और बकरी एक ही घाट पर बड़े प्रेम से साथ-साथ पानी पी रहे हों। घर में भले ही मर्सिडीज खड़ी हो, पर लोकल में हर वोट बराबर महत्व का है। यह मुंबइया साम्यवाद है। यहाँ ऑफिस का अदना-सा युवा कार्मिक सीट पर बैठे खर्राटें लेता मिलेगा । उसके पास ही उसका बॉस लोहे की बल्लियों से लटकता सीट के खाली होने की प्रतीक्षा में कातर दृष्टि से प्रत्येक सीट को निहारता मिलेगा । जूनियर कार्मिक बॉस को देखकर भी नहीं देखेगा और यदि गलती से आँखें मिल भी गई तो क्या फर्क पड़ता है – जो गति तोरा सो गति मोरा ... रामा हो रामा ।

लोकल ट्रेनों में शुभाकांक्षा के दृश्य भी अनमोल होते हैं । यदि आप कल्याण या विरार से भी दूर किसी स्टेशन से दैनिक यात्री हैं, तो एकाध महीने के अंदर आप अपने आने-जाने के लिए कोई ट्रेन, कोच और सीट नियत कर ही लेंगे । शुरु-शुरु में उस कोच के दैनिक यात्री आपको विदेशी नागरिक समझकर हिक़ारत की दृष्टि से देखेंगे, पर घबराइए नहीं । यह वेरिफिकेशन का एक तरीका होता है । धीरे-धीरे सभी चेहरे आपके जाने-पहचाने हो जाएँगे । आपसी बातचीत अंतरंगता तक पहुँच जाएगी । आपको समय से बर्थ-डे और एनिवर्सरी की शुभेच्छाएँ मिलने लगेंगी । चलती ट्रेन में ही केक भी कटेगा और आपको पार्टी भी देनी होगी । यदि किसी कारण किसी दिन आपने ऑफिस से छुट्टी ले ली, तो पूरे डिब्बे में आपको जाननेवाले आपकी चर्चा करेंगे कि आज वह क्यों नहीं आया ? सब ख़ैरियत तो होगी ? धीरे-धीरे घर से दूर होकर भी वह कोच आपको अपने घर जैसा लगने लगेगा और सह-यात्री परिजन जैसे लगने लगेंगे ।

यदि आप पहली बार उस कोच में यात्रा कर रहे हैं और आपको अपने गंतव्य तक जाने का सही रूट मालूम नहीं है, तो सिर्फ एक बार पूछकर देखिए । कम से कम दस लोग आपको सही रूट बताएँगे और कोई भी सुझाव गलत नहीं होगा । यदि आप गलती से फास्ट लोकल में चढ़ गए हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है । बस, एक बार बोल दीजिए कि वास्तव में आप कहाँ जाना चाहते थे । कई लोग आपको बताएँगे कि फलाँ स्टेशन पर यह फास्ट लोकल स्लो हो जाती है, वहाँ उतरना और ट्रेन की दिशा में दौड़ने लगना । बैलेंस बना रहेगा और आप सही स्टेशन पर उतर पाओगे । एक बार एक ऐसा ही अनजान यात्री घाटकोपर में चढ़ गया । उसे सायन जाना था जहाँ फास्ट लोकल नहीं रुकती है । लोगों ने सलाह भी दी और उसे उत्साह से भर दिया । सायन स्टेशन पर सचमुच ट्रेन स्लो हो गई । वह आदमी सफलतापूर्वक कूद गया और इंजन की दिशा में तेजी से दौड़ने लगा । दौड़ते-दौड़ते वह इंजन के पास पहुँचनेवाला था । अगली कोच के यात्रियों को लगा कि यह आदमी ट्रेन में चढने की कोशिश कर रहा है । दरवाजे पर मौजूद दो नौजवानों ने उसे ट्रेन के अंदर खींच लिया और डाँटते हुए बोला - "हमलोगों ने नहीं खींचा होता तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाती" । वही लोग बाद में सिर धुनकर हँसते हैं जब पता चलता है कि कि वह सही स्टेशन पर ही उतरा था और उतरकर बैलेंस बनाने के लिए दौड़ रहा था । पर अब क्या ? बेचारे को दादर से लौटना पड़ेगा अब!

कुर्ला स्टेशन पर सेन्ट्रल लाइन और हार्बर लाइन की लोकल ट्रेनें रुकती हैं । सेन्ट्रल लाइन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को कल्याण स्टेशन से और हार्बर लाइन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को पनवेल से जोड़ती है । दो-दो रेल लाइनों का स्टेशन होने के कारण कुर्ला स्टेशन का महत्व बहुत बढ़ जाता है । यों तो इस स्टेशन पर हर समय यात्रियों की भीड़ होती है, परंतु ऑफिस जाने और आने के समय यह स्टेशन जन-समुद्र में बदल जाता है । पीठ पर ऑफिस-बैग लादे स्त्रियों-पुरुषों का झुण्ड खत्म होने का नाम नहीं लेता । जिसे देखो वही भागा जा रहा है । किसी के पास इतना भी समय नहीं कि अपने जूते के खुले

फीतों को ही बाँध ले - हज़ारों लोग कुर्ला (पूर्व) की तरफ निकलते हुए दिखते हैं तो उससे कई हज़ार अधिक कुर्ला (पश्चिम) की तरफ निकलते हुए। पीक आवर के समय लोकल ट्रेन से उतरकर स्टेशन के बाहर आने का दृश्य भी मनमोहक होता है। हमलोगों ने शास्त्रों में लिखा पढ़ा है कि प्रभु की कृपा होने पर कोई बिना पैर के भी पहाड़ लाँघ सकता है। लेकिन मुंबई के स्टेशनों पर भीड़ की कृपा भी कोई प्रभु की कृपा से कम नहीं है। आप अपना पैर नहीं भी उठाएँ तब भी आप अगले पाँच-सात मिनटों में स्वयं को स्टेशन के बाहर पाएँगे। आपको सिर्फ एक काम करना है कि प्लेटफॉर्म पर उतरकर सीढियों की तरफ मुँह कर लीजिए। बाकी का सारा काम भीड़ कर देती है।

अब आप कुर्ला (पश्चिम) क्षेत्र में आ गए हैं। समय पीक आवर का ही होगा। यदि रिक्शा से बीकेसी जाना है तो अब रिक्शावाला ही मुंबई की सरकार है। उसके मुँह से जितनी संख्या निकल जाए वही नियमानुसार किराया है। चुका सकते हैं तो जाइए, वरना मेरे पीछे आइए। सामने बेस्ट का बस-स्टॉप है। यहाँ से हर जगह की बस मिलती है। लम्बी-लम्बी कतारों को देखकर घबराना नहीं है, बस कतार में खड़े हो जाना है। यहाँ हर व्यक्ति कतार का एक हिस्सा होता है। कभी न कभी तो बस आएगी ही और आपको ले जाएगी। हाँ, बस का किराया इतना कम होगा कि लगेगा जैसे निःशुल्क जा रहे हों। लेकिन घड़ी से पूछिए, कितने बज रहे हैं? यदि समय साढ़े नौ के पार चला गया है तो अब दौड़ जाइए। बस से जल्दी पहुँच जाएँगे। दौड़ने के क्रम में कुर्ला का ठग-मार्केट आपको मिलेगा। लेकिन अभी सोचने का वक्त नहीं है। ऑफिस पहुँचना है। 'मगर' चौराहा पार कर लिया तो आधा जंग जीत लिया। यहाँ से रिक्शे का किराया कम होगा, लेकिन तेवर वही रहेगा।

आप बहादुर हैं, ऑफिस पहुँच चुके हैं। लेकिन मात्र दस मिनट लेट हैं। यदि आपका भाग्य अच्छा है तो बॉस भी लेट होंगे अन्यथा आप जानें। ऑफिस के काम के बारे में मैं क्या लिखूँ? आपका ऑफिस है, यहाँ का काम आपसे बेहतर कौन जानता है? लेकिन बॉस की झिड़की से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बॉस से सहानुभूति रखनी चाहिए। आख़िर उनके भी तो बॉस हैं। नहीं भी हैं तो क्या हुआ? बॉस यदि झिड़के नहीं तो काहे का बॉस? इसे दिल पर नहीं लेना है, शाम को ऑफिस की बाते ऑफिस में ही छोड़कर अपने ठिकाने को भी जाना है। और याद रहे कि जिन आधुनिक परिस्थितियों में आप आए थे, उन्हीं परिस्थितियों में जाना भी है। कुर्ला के ठग-मार्केट से स्वयं को बचाना भी है। यह ठग-मार्केट भी दिलेर मार्केट है। इसने किसी को भी नहीं छोड़ा है, न मुझको और न मेरे बॉस को। आप यदि बच सकते हैं तो बच निकलिए।

ऊपर का वृत्तांत किसी एक दिन का होता तो मैं यह लेख कतई नहीं लिखता। लेकिन यह तो प्रतिदिन का मामला है, सप्ताह के पाँच दिन तो निश्चित हैं ही, और कोई दिन निकल आया तो खुदा खैर करे। मैं ठहरा ठेठ देहात का रहनेवाला। मैने अपने गाँव की शांति, हरियाली और सादगी को जिया है। अब कुर्ला को जीना पड़ रहा है। मुझे 'कुर्ला' शब्द से डर लगने लगा है, मुझे 'कुर्लाफोबिया' हो गया है। पता नहीं इससे कब बचूँगा और कैसे बचूँगा।

राष्ट्रीय एकता की कड़ी हिंदी ही जोड़ सकती है - बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'

एम एस वर्ड अर्थात् माइक्रोसॉफ्ट वर्ड

श्री प्रवीण नाफड़े
वरिष्ठ लेखापरीक्षक

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को काम करने के लिए अमूमन एक लैपटॉप या कंप्यूटर दिया जाता है । अधिकतर कार्यालयीन काम एमएस वर्ड अथवा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किए जाते हैं, जैसै पत्र लिखना, रिपोर्ट बनाना, टेबल बनाना आदि।

इतना ही नहीं, इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नति अथवा वेतनवृद्धि की परीक्षाओं में भी एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं । इस लेख में हम विभाग के नए प्रयोक्ताओं की सुविधा के लिए एमएस वर्ड के उपयोग से संबंधित आवश्यक जानकारी दे रहे हैं। आशा है कि यह लेख लाभदायक सिद्ध होगा ।

कंप्यूटर में किसी भी लेख को लिखने के लिए ज्यादा उपयोग एमएस वर्ड (MS Word) का होता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप अपने काम आसानी से कर सकते हैं।

एमएस वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) द्वारा साल 25 अक्टूबर 1983 में लोगों के बीच लाया गया था। एमएस वर्ड को दो लोग चार्ल्स सिमोनी और रिचर्ड ब्रॉडी ने मिल कर विकसित किया था जिसे 1983 में लाया गया था। तब इसको ज़ेनिक्स सिस्टम के लिए मल्टी-टूल वर्ड के रूप में जारी किया गया था। इसके बाद में इसको अपडेट किया गया। 1989 में इसे विंडोज (Windows) के लिए लाया गया। इसके साथ ही इसके इंटरफेस (Interface) को भी बेहतर बनाया गया था। अब तक एमएस वर्ड के कई संस्करण आ चुके हैं जिनकी जानकारी निम्नलिखित हैः-

संस्करण	जारी किया गया	प्रमुख फीचर्स और अपडेट्स
MS Word 1.0	अक्टूबर 1989	प्रारंभिक वर्ड प्रोसेसिंग क्षमताएँ Formatting का विकल्प
MS Word 1.1	मार्च 1990	कुछ Additional Formatting का ऑप्शन, बेहतर यूजर इंटरफेस
MS Word 2.0	1991	Graphics और Images क्षमता, टेबल और ड्रॉइंग टूल्स
MS Word 6.0	1993	New User Interface लाया, अपडेटेड फॉर्मेटिंग और Layout
MS Word 95	अक्टूबर 1995	वर्ड 95 के लिए विंडोज 95 के साथ Coordination
MS Word 97	नवंबर 1997	Smart Art, Word Art Features, Auto-Clipboard, Templates
MS Word 98	मार्च 1998	Web Browser का समर्थन, New Templates, Word Art
MS Word 2000	मार्च 1999	Web Pages के लिए उपयुक्तता
MS Word 2002	दिसंबर 2001	स्मार्ट टैग्स, नए स्टाइल्स और थीम्स
MS Word 2003	अगस्त 2003	राइटर इन्फॉर्मेशन फीचर्स, ग्रामर चेक क्षमताएँ

MS Word 2007	नवंबर 2006	रिबन यूजर इंटरफेस, नया डॉक्युमेंट फॉर्मेट (.docx),
MS Word 2010	जून 2010	स्क्रीनशॉट और स्निपिंग टूल्स, टेम्पलेट गैलरी, टैबलेट के लिए समर्थन
MS Word 2013	जनवरी 2013	क्लाउड-आधारित सेवाओं के साथ एकीकरण, टच स्क्रीन, नया रीड मोड
MS Word 2016	सितंबर 2015	वर्ड ऑनलाइन और शेयरपॉइंट के साथ एकीकरण, स्मार्ट लुकअप,
MS Word 2019	सितंबर 2018	बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, सुधारित डॉक्युमेंट्स
MS Word 2021	अक्टूबर 2021	Microsoft 365 के साथ नया सहयोग, अपडेटेड डिक्शनरी

काम के हिसाब से कंप्यूटर या लैपटॉप पर हमें किसी Document या Files को सही करने, बनाने अथवा इसको एडिट करने होते हैं। ऐसे में हम एमएस वर्ड का उपयोग कर सकते हैं। ये आसान और सही भी है। एसएस वर्ड की उपयोगिता विस्तृत है, जैसे रिज्यूम बनाने में, लेख/कहानी/कविता/रिपोर्ट/पत्र आदि लिखने में, ई-बुक लिखने में, फॉर्म बनाने में .. आदि कामों में एसएस वर्ड का उपयोग किया जाता है । इसके अलावा एसएस वर्ड में अन्य कई विशेषताएँ हैं जिनके कारण यह सॉफ्टवेयर इतना अधिक लोकप्रिय है । आजकल एसएस वर्ड बहुत ही Advance वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के रूप में परिणत हो गया है । इंटरनेट के हिसाब से इसमें अनगिनत नए फीचर्स जोड़े गए हैं । एसएस वर्ड की विशेषताओं और क्षमताओं की जितनी अधिक जानकारी होती है, काम उतना ही अधिक आसान हो जाता है । कुछ विशेषताएँ निम्नलिखित हैः-

- Fonts को बदल सकते हैं।
- Pictures को अपने हिसाब से लगा सकते हैं।
- Clips Arts के जरिए से आप अपने Document को अच्छा बना सकते हैं।
- Table का इस्तमाल करके लोगों को अपने Document का Summary बता सकते हो।
- Document को Editable Save और Share कर सकते हैं।
- Auto Correct उपलब्ध है
- Hyper Link लगा सकते हैं
- Mail को Merge कर सकते हैं
- गणितीय चिह्न/प्रतीक और समीकरण का उपयोग कर सकते हैं

किसी भी सॉफ्टवेयर के सफल होंने का सबसे बड़ा कारन उसका User Friendly होना होता है। आप एमएस वर्ड को आसनी से Use कर सकते हैं। एमएस वर्ड के इतने ज्यादा लोग प्रिय होने का पूरा कारण इसका User Friendly का होना होता है। जो सॉफ्टवेयर जितना आसान होता लोग उसको उतना ही इस्तमाल करते हैं। एसएस वर्ड इतना अधिक User Friendly सॉफ्टवेयर है कि इसका उपयोग कोई नौसिखिया भी कर सकता है ।

अब एसएस वर्ड के कुछ 'शॉर्टकट की' का परिचय भी लेना चाहिए जिनके उपयोग से काम में तेजी आ सकती हैः-

शॉर्टकट विवरण

Ctrl + A	डॉक्यूमेंट को पूरा सेलेक्ट करने के लिए (Select All)
Ctrl + B	टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए (Bold)
Ctrl + C	टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए (Copy)
Ctrl + D	फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए (Open Font Dialog Box)
Ctrl + E	टेक्स्ट को मध्य में लाने के लिए (Center Align)
Ctrl + F	टेक्स्ट को खोजने के लिए (Find)
Ctrl + G	पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी जाने के लिए (Goto)
Ctrl + H	एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस करने के लिए (Replace)
Ctrl + I	टेक्सट को तिरछा करने के लिए (Italic)
Ctrl + J	पैराग्राफ को दोनो ओर से बराबर करने के लिए (Justify)
Ctrl + K	हाइपरलिंक (Hyperlink)
Ctrl + L	टेक्स्ट को बांयी ओर से लिखने के लिए (Left Align)
Ctrl + M	बांयी ओर से एक पैराग्राफ को इंडेट करने के लिए
Ctrl + N	नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए (New Document)
Ctrl + O	पहले से बनी फाइल को देखने के लिए (Open an existing File)
Ctrl + P	पेज को प्रिंट करने के लिए (Print)
Ctrl + Q	पैराग्राफ को बांये शिफ्ट करने के लिए (Align paragraph to the left)
Ctrl + R	टेक्स्ट को दांयी ओर से लिखने तथा सेलेक्टेड टेक्सट को दांयी ओर शिफ्ट करने के लिए
Ctrl + S	डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए (Save)
Ctrl + T	हैंगिंग इंडेट बनाने के लिए (Create a hanging Indent)
Ctrl + U	टेक्स्ट के नीचे लाइन खींचने के लिए (Underline)
Ctrl + V	कॉपी तथा कट किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए (Paste)
Ctrl + W	एम.एस. वर्ड के अन्दर खुले हुए पेजेज को बन्द करने के लिए
Ctrl + X	टेक्स्ट को कट करने के लिए (Cut the selected text)
Ctrl + Y	अंडू को रिपीट करने के लिए (Redo)
Ctrl + Z	गलती से डिलीट हुए टेक्स्ट या पैराग्राफ को वापस लाने के लिए (Undo)

टेक्स्ट फार्मेटिंग के सम्बन्ध में शॉर्टकट की:

Ctrl + Shift + C	किसी भी टेक्स्ट की फार्मेटिंग को कॉपी करने के लिए
Ctrl + Shift + V	टेक्स्ट फार्मेटिंग का कॉपी करने के बाद , अप्लाई करने के लिए
Ctrl + Space bar	टेक्स्ट की फार्मेटिंग को हटाने के लिए (Remove Text Formatting)

स्पेशल शॉर्टकट की:

Ctrl + Shift + >	फॉन्ट को 2-2 प्वांइट बढाने के लिए (Increase Font Size with 2 Point)
Ctrl + Shift +	फॉन्ट को 2-2 प्वांइट घटने के लिए (Decrease Font Size with 2 Point)
Ctrl +]	फॉन्ट को 1-1 प्वांइट बढाने के लिए (Increase the font Size by 1 point)
Ctrl + [	फॉन्ट को 1-1 प्वांइट घटाने के लिए (Decrease the font Size by 1 point)
Ctrl + Shift + F	फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए (Open Font Dialog box)
Shift + F3	टेक्स्ट का केस बदलने के लिए (Change Case)
Ctrl + Shift + A	पूरे टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए
Ctrl + Alt + V	पेस्ट स्पेशल (Paste Special)
Ctrl + Shift + G	पूरे डॉक्यूमेंट में Word Count के लिए

टेबल (Table) में काम करने के लिए शॉर्टकट की:

Tab	किसी रो (Row) में अगले सेल मे जाने के लिए
Shift + Tab	किसी रो (Row) में पिछले सेल मे जाने के लिए
Alt + Home	किसी रो (Row) में पहले सेल में जाने के लिए (To the first cell in a row)
Alt + End	किसी रो (Row) में अन्तिम सेल में जाने के लिए
Alt + Page up	किसी कॉलम (Column) के पहले सेल में जाने के लिए
Alt + Page down	किसी कॉलम (Column) के अन्तिम सेल में जाने के लिए
Up Arrow	पिछली रो (Row) में जाने के लिए
Down Arrow	अगली रो (Row) में जाने के लिए

डॉक्यूमेंट (Document) में मूव करने करने के लिए शॉर्टकट की:

Left Arrow	एक अक्षर बांये जाने के लिए (One character to the left)
Right Arrow	एक अक्षर दांये जाने के लिए (One character to the right)
Ctrl+ Left Arrow	एक शब्द बांये जाने के लिए (One Word to the left)
Ctrl+ Right Arrow	एक शब्द दांये जाने के लिए (One Word to the right)
Ctrl+ Up Arrow	एक पैराग्राफ ऊपर जाने के लिए (One paragraph up)
Ctrl + Down Arrow	एक पैराग्राफ नीचे जाने के लिए (One paragraph down)
END	लाइन के अन्त में जाने के लिए (To the end of the line)
HOME	लाइन के शुरूआत में जाने के लिए (To the beginning of the line)

Page up	एक स्क्रीन ऊपर स्क्रॉल करने के लिए(Up one screen scrolling)
Page down	एक स्क्रीन नीचे स्क्रॉल करने के लिए (Down one screen scrolling)
Ctrl+ Page down	अगले पेज के टॉप पर पहुंचने के लिए(To the top of the next page)
Ctrl+ Page up	पिछले पेज के टॉप पर पहुंचने के लिए(To the top of the previous page)
Ctrl+END	डॉक्यूमेंट के अन्त में पहुंचने के लिए (To the end of the document)
Ctrl + Home	डॉक्यूमेंट के शुरूआत में पहुंचने के लिए

शब्द (Word) की फार्मेटिंग के लिए शॉर्टकट की:

Ctrl + D	फॉन्ट डायलॉग बाक्स खोलने के लिए (To open Font dialog box)
Ctrl + B	शब्द को हेंडिंग बनाने के लिए (Bold
Ctrl + I	शब्द को तिरछा करने के लिए (Italic)
Ctrl + U	शब्द के नीचे लाइन(स्पेस सहित) खींचने के लिए (Underline)
Ctrl + Shift + W	शब्द के नीचे लाइन (स्पेस नहीं) खींचने के लिए(Underline but not spaces)
Ctrl + Shift + D	शब्द के नीचे डबर लाइन खींचने के लिए (Double Underline Text)
Ctrl + = (Equal)	नार्मल टेक्स्ट के नीचे लिखने के लिए (Subscript)
Ctrl + Shift + =	नार्मल टेक्स्ट के ऊपर लिखने के लिए(Superscript)
Ctrl + Space bar	फार्मेटिंग को हटाने के लिए (Remove Formatting)

प्रिंटिंग (Printing) शॉर्टकट की:

Ctrl + F2	प्रिंट करने के पहले पेज को देखना (Print Preview)
Ctrl + P	प्रिंट करना(Print)

व्यू (View) के लिए शॉर्टकट की:

Alt + Ctrl + P	प्रिंट लेआउट व्यू पर जाने के लिए (Switch to Print Layout View)
Alt + Ctrl + O	आउटलाइन व्यू पर जाने के लिए (Switch to Outline View)
Alt + Ctrl + N	ड्राफ्ट व्यू पर जाने के लिए (Switch to Draft View)

मिक्स (Mix) शॉर्टकट की:

F7	स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए (Check Spelling and Grammar)
Alt + Ctrl + M	पेज में कमेंट इन्सर्ट करने के लिए (Insert a comment)

Ctrl + Shift + E	ट्रैक चेंजेज ऑन और ऑफ करने के लिए
Alt + Ctrl + F	पेज में फुटनोट इन्सर्ट करने के लिए(Insert a footnote)
Alt + Ctrl + D	पेज में इंडनोट इन्सर्ट करने के लिए(Insert a endnote)
Backspace	बांये (दांये से बांये) से एक अक्षर हटाने के लिए
DELETE	दांये (बांये से दांये) से एक अक्षर हटाने के लिए
Alt + Ctrl + 1	हेंडिंग नं0 1 अप्लाई करने के लिए (Apply the Heading 1 style)
Alt + Ctrl + 2	हेंडिंग नं0 2 अप्लाई करने के लिए (Apply the Heading 2 style)
Alt + Ctrl + 3	हेंडिंग नं0 3 अप्लाई करने के लिए (Apply the Heading 3 style)
Ctrl + F1	रिबन हाइड व अनहाइड करने के लिए (To Hide or Unhide the Ribbon)
Ctrl + Shift+F5	पेज में बुकमार्क इन्सर्ट करने के लिए (To insert bookmark in page)
Ctrl + F12 or Ctrl + O	पहले से बनी फाइल को देखने के लिए (To open an existing file)
F12	एक ही फाइल को अलग-अलग नाम से सेव करने के लिए(Save As)
Alt + F8	फाइल में मैक्रो लगाने के लिए (Macro)
Shift + F7	सिनोनिम्स या थीजोरस (Thesaurus)
Shift + Alt	**अँग्रेज़ी से हिंदी और हिंदी से अँग्रेजी कीबोर्ड बदलने के लिए**

आशा है कि यह लेख आपको एमएस वर्ड से अधिक परिचित कराया होगा जिससे आपको अपने कार्यालयीन काम में सहूलियत मिलेगी ।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक

अजीत कुमार
आँ.प्र.प्र.

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (Comptroller and Auditor General of India; संक्षिप्त नाम: CAG, कैग), भारतीय संविधान के अध्याय द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियों का भी अंकेक्षण करता है। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियाँ ध्यान देती है। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं और इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता ।

भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं । भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक ही भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के भी मुखिया होते हैं। इस समय पूरे भारत की इस सार्वजनिक संस्था में 58 हजार से अधिक कर्मचारी काम करते हैं।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय 10 बहादुर शाह जफर मार्ग पर नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान समय में इस संस्थान के प्रमुख संजय मूर्ति हैं। वे भारत के 14वें नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक हैं। किसी भी कैग प्रमुख का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले होगा, की अवधि के लिए राष्टपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। संस्था केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी भी सरकारी विभाग की जाँच कर सकती है। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। यह भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को देता है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य

(1) वह भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित और प्रत्येक संघ शाषित प्रदेश, जहाँ विधानसभा हो, से सभी व्यय सम्बन्धी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है।

इसका वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता हैं। अनु.148(4) के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात, भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्योहर या अयोग्यता पर प्रस्ताव पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता हैं। इसे लोक लेखा समिति का 'आंख व कान' कहा जाता हैं। आखिरकार विपक्ष ऑर कैग के मध्य सामंजस्य यह होता है अगर किसी लेन देन में गलती हो तो उसे विपक्ष को बताना

अभी तक के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक

क्रमांक	नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक	कार्यकाल का आरम्भ और कार्यकाल की समाप्ति
1	वी० नरहरि राव	1948 से 1954
2	ए० के० चन्द	1954 से 1960
3	ए० के० राय	1960 से 1966
4	एस० रंगनाथन	1966 से 1972
5	ए० बक्षी	1972 से 1978
6	ज्ञान प्रकाश	1978 से 1984
7	त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी	1984 से 1990
8	सी० एस० सोमैया	1990 से 1996
9	वी० के० शुंगलू	1996 से 2002
10	वी० एन० कौल	2002 से 2008
11	विनोद राय	2008 से 2013
12	शशिकान्त शर्मा	2013 से 2017
13	राजीव महर्षि	2017 से 2020
14	गिरीशचंद्र मुर्मू	2020 से 2024
15	के. संजय मूर्ति	08 नवम्बर 2024 से कार्यरत

सदर्भित संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 148 - भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

(1) भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने सील युक्त हस्ताक्षर से अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसके पद से केवल उसी से और उन्ही आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारो पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है ।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक पद पर नियुक्त किया जाता है, अपना पद ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची

मे इस प्रयोजन के लिए दिये गये प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा ।|

(3) नियंत्रक-महालेखाकार का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो संसद, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक वे इस प्रकार अवधारित नही की जाती है तब ऐसी होंगी, जो दूसरी अनुसूची मे वर्णित है ।

परंतु नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन, भत्ते और अनुपस्थिति छुट्टी, पेंशन या सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नही किया जाएगा ।

(4) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और पद पर नियुक्त का पात्र नही होगा ।

(5) इस संविधान के और संसद द्वारा बनाई गयी किसी विधि के उपबंधो के अधीन रहते हुए, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवाशर्तें और नियंत्रक महालेखापरीक्षक की प्रशासनिक शक्तियाँ ऐसी होंगी जो नियंत्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा बनाए गये नियमों द्वारा विहित की जाए ।

(6) नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत इस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके सम्बंध में सन्देय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे |

अनुच्छेद 149 - नियंत्रक महा लेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ :-

नियंत्रक महालेखापरीक्षक संघ के और राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं के सम्बन्ध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जिन्हें संसद द्वारा बनाई गयी विधि द्वारा या उनके अधीन विहित किया जाए और जब तक इस निमित इस प्रकार उपबंध नही किया जाता है, तब तक, और संघ के और राज्यों के लेखाओं के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन और शक्तियों का प्रयोग करेगा । जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले क्रमश: भारत डोमिनियन के और प्रांतों के लेखाओं के संबंध में भारत के महालेखापरीक्षक को प्रदत्त थी या उनके द्वारा प्रयोक्त थी ।

अनुच्छेद 150 - संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप

संघ के और राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह पर विहित करे |

अनुच्छेद 151 - लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

(1) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक, संघ के लेखाओं सम्बंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा ।

(2) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक, के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा ।

राजभाषा अधिनियम 1963

भारत गणराज्य के चौदहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-
(1) यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम, 1963 कहा जा सकेगा।

(2) धारा 3 जनवरी, 1965 के 26वें दिन को प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीख नियत की जा सकेंगी।

2. परिभाषाएं- इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) 'नियत दिन' से, धारा 3 के संबंध में, जनवरी, 1965 का 26वां दिन अभिप्रेत है और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के संबंध में वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन को वह उपबंध प्रवृत्त होता है;

(ख) 'हिन्दी' से वह हिन्दी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है।

3. संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा का बना रहना- (1) संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर भी, हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा, नियत दिन से ही, –

(क) संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए जिनके लिए यह उस दिन से ठीक पहले प्रयोग में लाई जाती थी ; तथा

(ख) संसद में कार्य के संव्यवहार के लिए, प्रयोग में लाई जाती रह सकेगी:

परंतु संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगीः

परंतु यह और कि जहां किसी ऐसे राज्य के, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है और किसी अन्य राज्य के, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, बीच पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी को प्रयोग में लाया जाता है, वहां हिन्दी में ऐसे पत्रादि के साथ-साथ उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जाएगा:

परंतु यह और भी कि इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे राज्य को, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संघ के साथ या किसी ऐसे राज्य के साथ, जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है, या किसी अन्य राज्य के साथ, उसकी सहमति से, पत्रादि के

प्रयोजनों के लिए हिन्दी को प्रयोग में लाने से निवारित करती है, और ऐसे किसी मामले में उस राज्य के साथ पत्रादि के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग बाध्यकर न होगा ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिन्दी या अंग्रेजी भाषा–

(i) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और दूसरे मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के बीच;

(ii) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय के और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी या उसके किसी कार्यालय के बीच;

(iii) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी या उसके किसी कार्यालय के और किसी अन्य ऐसे निगम या कंपनी या कार्यालय के बीच; प्रयोग में लाई जाती है वहां उस तारीख तक, जब तक पूर्वोक्त संबंधित मंत्रालय, विभाग, कार्यालय या निगम या कंपनी का कर्मचारीवृन्द हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, ऐसे पत्रादि का अनुवाद, यथास्थिति, अंग्रेजी भाषा या हिन्दी में भी दिया जाएगा।

(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, हिन्दी और अंग्रेजी भाषा दोनों ही-

(i) संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं या किए जाते हैं;

(ii) संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदनों और राजकीय कागजपत्रों के लिए;

(iii) केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदाओं और करारों के लिए तथा निकाली गई अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञापत्रों, सूचनाओं और निविदा-प्ररूपों के लिए, प्रयोग में लाई जाएंगी।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि केन्द्रीय सरकार धारा 8 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उस भाषा या उन भाषाओं का उपबंध कर सकेगी जिसे या जिन्हें संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए, जिसके अन्तर्गत किसी मंत्रालय, विभाग, अनुभाग या कार्यालय का कार्यकरण है, प्रयोग में लाया जाना है और ऐसे नियम बनाने में राजकीय कार्य के शीघ्रता और दक्षता के साथ निपटारे का तथा जन साधारण के हितों का सम्यक ध्यान रखा जाएगा और इस प्रकार बनाए गए नियम विशिष्टतया यह सुनिश्चित करेंगे कि जो व्यक्ति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा कर रहे हैं और जो या तो हिन्दी में या अंग्रेजी भाषा में प्रवीण हैं वे प्रभावी रूप से अपना काम कर सकें और यह भी कि केवल इस आधार पर कि वे दोनों ही भाषाओं में प्रवीण नहीं है उनका कोई अहित नहीं होता है।

(5) उपधारा (1) के खंड (क) के उपबंध और उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4), के उपबंध तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसी सभी राज्यों के विधान मंडलों द्वारा, जिन्होंने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते और जब तक पूर्वोक्त संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात् ऐसी समाप्ति के लिए संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता।]

4. राजभाषा के संबंध में समिति- (1) जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है उससे दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात, राजभाषा के संबंध में एक समिति, इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर, गठित की जाएगी।

(2) इस समिति में तीस सदस्य होंगे जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य सभा के सदस्य होंगे, जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

(3) इस समिति का कर्तव्य होगा कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करे और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन करे और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के हर एक सदन के समक्ष रखवाएगा और सभी राज्य सरकारों को भिजवाएगा ।

(4) राष्ट्रपति उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों ने यदि कोई मत अभिव्यक्त किए हों तो उन पर विचार करने के पश्चात् उस समस्त प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा:

परन्तु इस प्रकार निकाले गए निदेश धारा 3 के उपबंधों से असंगत नहीं होंगे ।]

5. केन्द्रीय अधिनियमों आदि का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद- (1) नियत दिन को और उसके पश्चात् शासकीय राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित-

(क) किसी केन्द्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश का, अथवा

(ख) संविधान के अधीन या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का, हिन्दी में अनुवाद उसका हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

(2) नियत दिन से ही उन सब विधेयकों के, जो संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किए जाने हों और उन सब संशोधनों के, जो उनके संबंध में संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाने हों, अंग्रेजी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ-साथ उनका हिन्दी में अनुवाद भी होगा जो ऐसी रीति से प्राधिकृत किया जाएगा, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए।

6. कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद- जहां किसी राज्य के विधान-मंडल ने उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में प्रयोग के लिए हिन्दी से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां, संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) द्वारा अपेक्षित अंग्रेजी भाषा में उसके अनुवाद के अतिरिक्त, उसका हिन्दी में अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में, उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से, नियत दिन को या उसके पश्चात् प्रकाशित किया जा सकेगा और ऐसी दशा में ऐसे किसी अधिनियम या अध्यादेश का हिन्दी में अनुवाद हिन्दी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

7. उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिन्दी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग- नियत दिन से ही या तत्पश्चात् किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है वहां उसके साथ- साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा।

8. नियम बनाने की शक्ति - (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के हर एक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। वह अवधि एक सत्र में, अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रममिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रुप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात यह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।]

9. [कतिपय उपबंधों का जम्मू-कश्मीर को लागू न होना]- जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (केन्द्रीय विधियों का अनुकूलन) आदेश, 2020 [अधिसूचना सं. का.आ. 1123(अ), तारीख 18-3-2020] तथा लद्दाख पुनर्गठन (केन्द्रीय विधियों का अनुकूलन) आदेश, 2020 [अधिसूचना सं. का.आ. 3774(अ) तारीख 23-10-2020] द्वारा लोप किया गया।

"विदेशी भाषा का किसी स्वतंत्र राष्ट्र के राजकाज और शिक्षा की भाषा होना सांस्कृतिक दासता है।"
- वाल्टर चेनिंग

राजभाषा नियम 1976

सा.का.नि. 1052 --राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ--

इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 है।

इनका विस्तार, तमिलनाडु राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएं-- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः-

'अधिनियम' से राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) अभिप्रेत है;

'केन्द्रीय सरकार के कार्यालय' के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है, अर्थातः-

केन्द्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय;

केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय; और

केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कम्पनी का कोई कार्यालय;

'कर्मचारी' से केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

'अधिसूचित कार्यालय' से नियम 10 के उपनियम (4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय, अभिप्रेत है;

'हिन्दी में प्रवीणता' से नियम 9 में वर्णित प्रवीणता अभिप्रेत है ;

'क्षेत्र क' से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड़, उत्तराखंड राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

'क्षेत्र ख' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं;

'क्षेत्र ग' से खंड (च) और (छ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;

हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान' से नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिप्रेत है ।

राज्यों आदि और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि-

केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिन्दी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से--

क्षेत्र 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) को पत्रादि सामान्यतया हिन्दी में होंगे और यदि इनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगाः परन्तु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह

चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के लिए आशयित पत्रादि संबद्ध राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिन्दी में भेजे जाएं और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएंगे ;

क्षेत्र 'ख' के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ग' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो)या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे।

उप नियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, क्षेत्र 'ग' में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क'या'ख'में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं । परन्तु हिन्दी में पत्रादि ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या,हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि-

केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र 'क' में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार, ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर अवधारित करे;

क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच, जो खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट कार्यालयों से भिन्न हैं, पत्रादि हिन्दी में होंगे;

क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र 'ख' या 'ग'में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या,हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे ;

क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या,हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे ;

परन्तु जहां ऐसे पत्रादि--

क्षेत्र 'क' या क्षेत्र 'ख' किसी कार्यालय को संबोधित हैं वहां यदि आवश्यक हो तो, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा;

क्षेत्र 'ग' में किसी कार्यालय को संबोधित है वहां, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, उनके साथ भेजा जाएगा;

परन्तु यह और कि यदि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है तो दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर--

नियम 3 और नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी, हिन्दी में पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से हिन्दी में दिए जाएंगे ।

हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग-

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसी दस्तावेजें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार की जाती हैं, निष्पादित की जाती हैं और जारी की जाती हैं।

आवेदन, अभ्यावेदन आदि-

कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है।

जब उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में किया गया हो या उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए हों, तब उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।

यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना,जिसका कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, हिन्दी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक विलम्ब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणों का लिखा जाना -

कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे।

केन्द्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी, जो हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिन्दी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है, अन्यथा नहीं।

यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा।

उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा,जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा ।

हिन्दी में प्रवीणता-

यदि किसी कर्मचारी ने-

मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है;या

स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो; या

यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है;

तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है ।

हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान-

यदि किसी कर्मचारी ने-

मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है; या

केन्द्रीय सरकार की हिन्दी परीकाा योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के सम्बन्ध में उस योजना के अन्तर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है;या

केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है;

तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिन्दी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं।

केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख में से

उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा ।

मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि-

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्ररूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे।

केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकती है।

अनुपालन का उत्तरदायित्व-

केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह--

यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है;और

इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करे ।

केन्द्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकती है ।

आपके पत्र : आपकी प्रतिक्रियाएँ

आँचल पत्रिका के 21वें अंक की पाठकीय प्रतिक्रिया बहुत सारे कार्यालयों से आई हैं । इन सहृदय कार्यालयों के हम आभारी हैं जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया और अमूल्य सुझावों से पत्रिका की गुणवत्ता और पाठकीयता को समृद्ध करने में हमारी मदद की ।

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	पत्र संख्या
1.	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), महाराष्ट्र, नागपुर	हिंदी अनुभाग/प्रतिक्रिया/20/2024-25/जा.क्रम. दिनांक 11.11.2024
2.	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार	हिं.अ./ले.प./प्रतिभाव/2021-22/37/169 दिनांक 06.12.2024
3.	कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी), पंजाब एवं यू.टी, चंडीगढ़	हिंदी कक्ष/समीक्षा/10/2024-25/491 दिनांक 27.11.2024
4.	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़	हिन्दीकक्ष/पावती/2024-25/जा.432 दिनांक 27.11.2024
5.	कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय) चेन्नै	मनिलेप(के)/हिंदी अनुभाग/14-02/2024-25/154 दिनांक 14.11.2024
6.	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा	हिंदी कक्ष/पत्रिका/प्रतिक्रिया/2024-25/294 दिनांक 19.11.2024
7.	कार्यालय प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा-II, पश्चिम बंगाल, कोलकाता	हिंदी कक्ष/पत्रिका पावती/124 दिनांक 13.11.2024
8.	कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) म.प्र., 53. अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल-462011	हि.क./फा-7/जावक-86 दिनांक 11.12.2024
9.	महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक.), त्रिपुरा, अगरतला	स्थापना (ले.व.ह.)/हिन्दी पत्रिका बधाई पत्र/24-25/37232 दिनांक 12.12.2024
10.	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), त्रिपुरा, कुंजवन, अगरतला - 799006	हिन्दी अनुभाग/पत्रिका प्रतिक्रिया/2024-25/808 दिनांक 19.12.2024
11.	कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय व्यय, पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग, कोलकाता शाखा, कोलकाता - 700020	822092/2024 दिनांक 24.12.2024
12.	राष्ट्रीय लेखापरीक्षा तथा लेखा अकादमी, शिमला	रा.अ./प्रशा./हिन्दी पत्रिका उदिशा/2024-25/3421 दिनांक 24.12.2024
13.	कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), मुंबई	प्र.नि.ले.प.(के.)/पत्रिका समीक्षा/जावक/199 दिनांक 09.01.2025
14.	महालेखाकार (ले. एवं हक.) का कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार - 800001	हिं.अ,/ले. व हक./5/पत्रिका प्रतिभाव/24-25/223 दिनांक 02.01.2025
15.	कार्यालय महालेखाकार (ले. व. हक.) हिमाचल प्रदेश, शिमला - 171003	हिं.क./ले.व.ह./पत्रिका समीक्षा/2024-25/225 दिनांक 06.01.2025
16.	कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), असम	का.म.ले.का./ई-मेल/10.02.2025
17.	कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), बैंगुलुरू	ई-मेल

नियुक्तियाँ / पदोन्नतियाँ / स्थानांतरण / सेवानिवृत्ति
(01 सितंबर 2024 से 28.02.2025 तक)

नियुक्तियाँ

क्र.सं.	नाम	पदनाम	दिनांक
1	डॉ. संदीप रॉय	महानिदेशक	13.09.2024
2	श्रीमती अनुताई भराडे	व.ले.प.	18.11.2024
3	श्री चित्राक्ष भट्ट	लिपिक/टंकक	16.12.2024
4	श्री मदन मोहन मिश्र	व.ले.प.अ.	01.01.2025
5	श्री ओम लोहिया	व.ले.प.अ.	01.01.2025
6	श्री जितेन्द्र कुमार	व.ले.प.अ.	01.01.2025
7	श्री महेन्द्र एस पुरोहित	व.ले.प.अ.	01.01.2025
8	श्री विजय एन कोठारी	प्रधान निदेशक	06.01.2025
9	श्री सौरभ जिंदल	व.ले.प.अ.	08.01.2025
10	सुश्री हिमानी	व.ले.प.अ.	28.01.2025
11	श्री सुशील टोपनो	व.ले.प.अ	03.03.2025

स्थानांतरण

क्र.सं.	नाम	पदनाम	दिनांक
1	श्री ज्योतिमय बाइलुंग	निदेशक (प्रशासन)	26.08.2024
2	श्री गुलजारी लाल	महानिदेशक	13.09.2024
3	श्री जियाउल हसन अंसारी	स.ले.प.अ.	20.12.2024
4	श्री कमलेश सहारे	स.ले.प.अ.	31.12.2024
5	डॉ. संदीप रॉय	महानिदेशक	03.01.2025
7	श्री गुलजारी लाल	महानिदेशक	13.09.2024
8	श्री पियूष रामटेके	व.ले.प.अ.	21.02.2025
9	श्रीमती नयना केळसकर	सहा. पर्य.	28.02.2025

पदोन्नतियाँ

क्र.सं.	नाम	पदनाम	दिनांक
1	श्री धन बीर	व.ले.प.अ.	31.12.2024

"आँचल" परिवार नवनियुक्त और योगदान करनेवाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का स्वागत करता है एवं आपके सफल एवं सुखद करियर की कामना करता है । **"आँचल"** परिवार स्थानांतरित हुए सभी कार्मिकों को हार्दिक शुभकामनाएँ देता है ।

पहेलियों के उत्तर - 1 वनस्पति 2 टेबल 3 आइना 4 ढ़ोलक 5 लौंग 6 दहीबड़ा 7 सींग 8 मेंहदी 9 ताला 10 गुड़िया 11 खरगोश 12 अतिथि 13 चोटी 14 साइकिल 15 अँगूठा और उँगलियाँ

चित्रों के झरोखों से

कार्यालय में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह

प्रधान निदेशक महोदय द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यालय की महिला अधिकारियों का सम्मान

क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान
Regional Training Institute
&
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (नौवहन)
O/o the Pr. Director of Audit (Shipping)
(भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग)
(Indian Audit & Accounts Department)

फिर मिलेंगे

आँचल